IX संगठनात्मक विकास और कार्यनीतिपरक आयोजना

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 यह निर्दिष्ट करता है कि रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए स्थापित विशेष शक्तियों एवं दायित्वों से मुक्त एक निगमित निकाय है। चूंकि निर्गम और बैंकिंग विभाग की स्थापना करना रिज़र्व बैंक का सांविधिक दायित्व था अत: रिज़र्व बैंक ने प्रारंभ में ही बैंक ऑफ इंग्लैंड का अनुकरण करते हुए इन विभागों की स्थापना की। कालांतर में विभिन्न अवसरों पर रिज़र्व बैंक को सौंपे गए विभिन्न दायित्वों का वहन करने के लिए अन्य विभागों की स्थापना की गई। रिज़र्व बैंक के संगठनात्मक कायाकल्प में, विशेषत: स्वातंत्र्योत्तर काल में, एक ओर घरेलू ज़रूरतों और मजबूरियों की पूर्ति एवं दूसरी और उभरते सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के बीच तारतम्य बनाने की आवश्यकता के मद्देनजर, लचीलापन अपेक्षित होता है। समय के साथ एवं बदलती हुई आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों में रिज़र्व बैंक ने सफलतापूर्वक अपना रूपांतरण किया है ।

9.2 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्राक्कथन के अनुसार, 'भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंक नोटों का निर्गम करने तथा आरक्षित निधियों के रखरखाव और सामान्यत: देश के लाभार्थ उसके मुद्रा एवं ऋण प्रणालियों का परिचालन' करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई है । असाधारण परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियम में बैंक को अतिरिक्त शक्तियां एवं परिचालन क्षमता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । इस अध्याय में रिज़र्व बैंक की मूल्य स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास की मूलभूत चिंता की पृष्ठभूमि में उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए बैंक के संगठनात्मक ढांचे में आए परिवर्तनों का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। इसमें कार्यात्मक परिवर्तनों की अनुक्रिया से संगठनात्मक ढांचे में आए बदलावों का यथासंभव क्रमिक वर्णन किया गया है (परिशिष्ट 9.1)

I. गठन और संचालन (1920 से 1940 का दशक)

9.3 जन आकांक्षाओं के अनुरूप मुद्रा और विदेशी मुद्रा दर का प्रबंध करने में असफल होने के कारण हुए घोर लोकापवाद के बाद भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रायल कमीशन, 1926 ने मुद्रा एवं ऋण नियंत्रण का कार्य सरकार के कार्यक्षेत्र से निकाल कर इन कार्यों का संपादन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नामक एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की । परंतु तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों में यह चर्चा दब कर रह गई । आयोग ने यह सुझाव भी दिया था कि केंद्रीय बैंक बैंकों के बैंक की जिम्मेदारी भी निभाए। भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति (सन् 1931) तथा संवैधानिक सुधारों पर श्वेतपत्र (सन् 1933) ने राजनैतिक प्रभावों से मुक्त रिजर्व बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया ।

9.4 भारत कार्यालय समिति रिपोर्ट (भाकास, 1933) ने राजनैतिक दखल के भय के निराकरण हेतु अंशधारकों के बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया । समिति ने महसूस किया कि राज्य द्वारा पूंजी निवेश से राजनैतिक दबदबे को प्रत्यक्ष बल मिलेगा । उसने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर जोर देने के लिए सुझाव दिया कि बोर्ड का आकार छोटा रखा जाए। केंद्रीय बैंकिंग संरचना क्षेत्र में तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने भी बैंक की अंशधारक स्वामित्व संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कालांतर में रिज़र्व बैंक विधेयक का मसौदा बनाने के लिए गठित लंदन समिति ने भारत कार्यालय समिति रिपोर्ट की सिफारिशों का अनुमोदन किया। रिज़र्व बैंक विधेयक (1933), ने मुद्रा एवं ऋण नियंत्रण का कार्य एक स्वतंत्र प्राधिकारी, जो निरंतरता के साथ कार्य कर सके, के सुपुर्द करने की आवश्यकता को रेखांकित किया । विधेयक के पारित होने पर सन् 1934 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम अस्तित्व में आया जिसके प्रावधानों के अनुसार रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1934 में अपना कारोबार शुरू किया । मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा विनिमय दर का प्रबंधन नवनिर्मित केंद्रीय बैंक की मुख्य जिम्मेदारियां थीं। इन पर बैंकिंग प्रबंधन की अपेक्षा बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इस मंशा के अनुरूप दैनंदिन कार्यव्यवहार में सरकार के हस्तक्षेप से स्वतंत्र बैंक के संचालनतंत्र का विशेष पहलू था ।

9.5 सामान्य अधीक्षण एवं बैंक के मामलों एवं कारोबार को निदेशित करने के लिए अधिनियम में एक केंद्रीय निदेशक मंडल के गठन का प्रावधान किया गया है । एक गवर्नर , दो उप गवर्नरों (परिषद में गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त), चार निदेशक (परिषद में गवर्नर जनरल द्वारा नामित), आठ निदेशक (अंशधारकों द्वारा चुने गए) , और एक सरकारी अधिकारी (परिषद में गवर्नर जनरल द्वारा नामित परंतु मताधिकाररहित) को मिलाकर केंद्रीय निदेशक मंडल का गठन किया गया । उस समय केंद्रीय निदेशक मंडल में वाणिज्यिक निकायों के प्रतिनिधित्व की जरूरत

महसूस नहीं की गई । हालांकि विभिन्न आर्थिक हितों के लिए कोई सांविधिक प्रावधान नहीं थे, तथापि यह आशा की जाती थी कि परिषद में गवर्नर जनरल के निर्णयों से समाज के मुख्य घटकों के अल्प प्रतिनिधित्व या अप्रतिनिधित्व से उत्पन्न दोष का निवारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य नियंत्रक निकाय को विशेष हितप्रतिनिधियों के अनुभव एवं विशेषज्ञता का लाभ उपलब्ध करवाना था (भारतीय रिज़र्व बैंक, 1970)। गवर्नर और उप गवर्नरों की नियुक्ति करने वाली प्राधिकारी भारत सरकार में केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपे गए उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असफल होने की स्थिति में उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी निहित थी। हालांकि अधिनियम में ऐसे विशिष्ट प्रावधान हैं जिनके तहत गवर्नर और उप गवर्नरों को बर्खास्त किया जा सकता हैं तो भी केंद्रीय सरकार ने उन्हें अकारण तथा बिना कोई औचित्य बताए बर्खास्त करने की शक्ति अपने पास रखी है। अधिनियम ने क्षेत्रीय या आर्थिक हितों के पर्याप्त रूप से संवर्धन करने की दृष्टि से भौगोलिक अंचलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच आंचलिक मंडलों की स्थापना का समर्थन किया [भारतीय रिज़र्व बैंक संशोधन अधिनियम संख्या 1947 का 11 द्वारा पांच के स्थान पर चार किया गया]. स्थानीय बोर्ड (जिसके सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय निदेशक मण्डल द्वारा की जाती है) केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व का भली प्रकार निर्वाह एवं उनको संदर्भित मामलों पर केंद्रीय निदेशक मंडल को उचित सलाह दें सकें, इसके लिए उनमें दुतरफा संवाद की आवश्यकता महसूस की गई। केंद्रीय निदेशक मंडल का यह उत्तरदायित्व है कि वह साल में कम से कम छः तथा प्रत्येक तिमाही में एक बैठक करे । गवर्नर इन बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसमें निर्णायक मत देने की शक्ति भी समाहित है ।

9.6 केंद्रीय निदेशक मंडल की पहली बैठक जनवरी 14 , 1935 को कलकत्ता में संपन्न हुई थी। संगठन संबंधी प्रारंभिक औपचारिकताओं को बोर्ड की दूसरी बैठक में पूरा किया गया। इम्पीरियल बैंक से रिजर्व बैंक को सरकारी खातों का स्थानांतरण प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राजकोषीय वर्ष (अप्रैल 1 , 1935) के पहले दिन किया गया ।

9.7 बैंक के संगठनात्मक ढांचे में - क) केंद्रीय कार्यालय जिसमें, सचिव अनुभाग , गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड की सचिवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी जिसमें शामिल थी, सार्वजनिक ऋण प्रबंध, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अर्थोपाय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बैंक की नीतियों को प्रभावित करने वाले मामलों के लिये उत्तरदायी था, एवं मुख्य लेखाकार का अनुभाग स्टाफ़ प्रबंध, कार्मिक और परिसर संबंधी मामलों के अतिरिक्त निर्गम एवं बैंकिंग विभागों के खातों का रख-रखाव और निगरानी, व्यय संबंधी मामलों के निपटान, कोष का संप्रेषण, नोट और सिक्कों के मांगपत्र तथा आबंटन आदि के लिए जिम्मेदार था , और ख) कृषि ऋण विभाग, कृषि ऋणसंबंधी समस्याओं की जांच-पड़ताल करने, कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ समन्वय करने का कार्य करता था। शुरू में बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, जिसे दिसंबर 1937 में बंबई स्थानांतरित किया गया ।

9.8 प्रारंभ से ही विधायिका ने ग्रामीण वित्त के मामले को काफी महत्व दिया है। संयुक्त प्रवर समिति (संप्रस, 1933) ने देशी साहूकारों पर एक सांविधिक रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया ताकि कृषि वित्त के असंगठित ढांचे में सुधार लाने के लिए उनका रिज़र्व बैंक के साथ संबंध संस्थापित करके कालांतर में उन्हें अनौपचारिक आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जा सके। इसे अत्यावश्यक समझा गया क्योंकि अन्यथा रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा और ऋण प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना तथा ग्रामीण जनता को उचित शर्तों पर उसका लाभ मुहैया करवाना असंभव था (भारतीय रिज़र्व बैंक, 1970)। अनुसूचित अथवा सहकारी बैंकों द्वारा मौसमी कृषि कार्यों का वित्तपोषण, फसलों के विपणन हेतु जारी विनिमय बिलों एवं वचनपत्रों का पुनर्बट्टीकरण और इन उद्देश्यों के लिए ऋणाबंटन भारतीय रिज़र्व बैंक विधेयक 1933 के आवश्यक प्रावधान थे। संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित विधेयक ने एक अलग ग्रामीण ऋण विभाग --- कृषि ऋण विभाग (कृऋवि, 1935) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह भलीभांति महसूस किया गया कि कृषकों की ऋणावश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी आंदोलन सबसे अच्छा समाधान है तथा सहकारी संस्थाएं ऋणोपलब्धता के अलावा उससे भी आगे जाकर कृषक जीवन के अन्य पहलुओं जैसे कम कीमत पर उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग आदि तथा बेहतर कृषि एवं जीवनस्तर को प्रोत्साहन दे सकती हैं। फरवरी 1937 में कृषि ऋण विभाग में एक सांख्यिकीय अनुभाग की स्थापना की गई जिसका उत्तरदायित्व घरेलू मुद्रा एवं वित्त बाजारों पर आवधिक रिपोर्ट बनाने के अलावा अनुसूचित बैंकों से संबंधित आंकड़े

[1] कोषपाल (निर्गम एवं विनिमय शाखाओं में विभाजित) एवं सामान्य विभाग (पंजीकरण शाखा, निरस्त नोट सत्यापन शाखा, दावा शाखा, संसाधन शाखा एवं लेखा शाखा में उपविभाजित) में विभाजित जहां रिज़र्व बैंक के बैंकिंग या निर्गम विभाग के कार्यालय विद्यमान नहीं थे, ऐसी जगहों पर इम्पीरियल बैंक की शाखाओं में मुद्रा कोष एवं छोटे सिक्कों के डिपो की स्थापना / रखरखाव की व्यवस्था रिज़र्व बैंक द्वारा की गई।

[2] पांच विभागों यथा लोक लेखा विभाग, जमा लेखा विभाग, लोक ऋण कार्यालय, प्रतिभूति विभाग एवं शेयर स्थानान्तरण विभाग में विभाजित।

एकत्र कर उनका विश्लेषण करना भी था। अप्रैल 1937 से इस अनुभाग ने मासिक सांख्यिकीय सारांश को प्रकाशित करने का काम लेखा कार्यालय कलकत्ता से ले लिया। अनुभाग को 1935-36 एवं 1936-37 वर्षों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट, जिसने अक्तूबर 1937 में समाप्त किए गए मुद्रा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट का स्थान लिया, के प्रथम संस्करण के प्रकाशन का श्रेय भी मिला। कृषि ऋण विभाग का विस्तार करके जनवरी 1938 में अनुसूचित बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए एक अलग अनुभाग की स्थापना की गई। अप्रैल 1937 से इस अनुभाग ने 'मासिक सांख्यिकी सारांश' को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व लेखा कार्यालय, कलकत्ता से ले लिया। उक्त अनुमांग को 1935-36 एवं 1936-37 वर्षों से संबधित मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट का प्रथम संस्करण, जिसने अक्तूबर 1937 में समाप्त किए गए मुद्रा नियंत्रक के कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट का स्थान लिया, प्रकाशित करने का श्रेय भी है। अनुसूचित बैंकों की देखरेख के लिए जनवरी 1938 में एक अलग बैंकिंग अनुभाग की स्थापना करके कृषि ऋण विभाग का और विस्तार किया गया।

9.9 रिज़र्व बैंक के उत्तरदायित्वों में संभावित बढ़ोतरी का पूर्वानुमान करके आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने के लिए सन् 1935 में ही निरीक्षण विभाग की स्थापना की गई। स्वयं आकलन सुनिश्चित करने की प्रणाली के अनुरूप यह विभाग केंद्रीय कार्यालय विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालय विभागों की उपलब्धियों एवं कार्यनिष्पादन का आकलन करता था। कार्यभार में वृद्धि के आधार पर स्टाफ आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण करके समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए यह विभाग समय-समय पर बैंक के शीर्ष प्रबंध-तंत्र को सुझाव देता था।

9.10 इस समय तक बैंकों से संबधित कानूनों में, बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को नियंत्रित करने से संबंधि कंपनी अधिनियम, 1913 के छोटे-2 उपबंधों के अलावा, अनुसूचित बैंकों के कारोबार के विस्तृत विनियमन का प्रावधान नहीं था। उससे संबंधित विशिष्ट कानूनों एवं तंत्र का जैसे बिल्कुल अस्तित्व नहीं था। भारतीय कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1936 का परित होना बैंकिंग विधि निर्माण में प्रथम प्रयास था। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए उनको ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता के मद्देनजर देश में बैंकिंग नेटवर्क के भौगोलिक विस्तार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया। 1913-14 के बैंकिंग संकट, जिस दौरान कई संयुक्त स्टाफ बैंक असफल हो गए थे, के बाद के दशकों में बैंकों की असफलता काफी हद तक स्थानीय कमजोरियों एवं कमियों के कारण हुई, जिनसे अनियंत्रित बैंकिंग के दिनों मे कई बैंकिंग कंपनियां ग्रस्त थीं (भारिबै. 1970)।1938 के मध्य में त्रावणकोर नेशनल एवं क्विलोन बैंक की असफलता ने ब्रांच नेटवर्क के अस्वस्थ विस्तार तथा बैंकिंग संस्थाओं के परिचालन में जांच के प्रावधानों में कमियों को उजागर किया। संकट के बाद बैंकों के निरीक्षण के लिए रिज़र्व बैंक ने विशेष अधिकारी प्रतिनियुक्त किए तथा सूचना प्राप्त करके नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त की। परंतु विस्तृत नियामक प्रावधान तैयार करने में रिज़र्व बैंक और सरकार ने एक दशक का समय लिया तथा 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम बनाया गया । सन 1966 में जिसका नाम बदलकर बैंककारी विनियमन अधिनियम, बी आर एक्ट, 1949 कर दिया गया।

9.11 द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान देश को भारी आर्थिक एवं वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे विदेशी मुद्रा लेन-देन पर नियंत्रण के लिए विशेष विभाग की स्थापना करना आवश्यक हो गया। परिणामतः सन् 1939 में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग गठित किया गया। संगठनात्मक सुविधा की दृष्टि से विनिमय नियंत्रण का कार्य, जो अब तक केंद्र सरकार के कार्य-क्षेत्र का विषय था, रिज़र्व बैंक को दे दिया गया। उत्तरवर्ती समय में विनिमय नियंत्रण के क्षेत्र में बैंक के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि हुई। विनिमय विभाग का केंद्रीय कार्यालय बंबई में था, परंतु कारोबार में वृद्धि के फलस्वरूप अन्य केंद्रों जैसे कलकत्ता, लाहौर, कानपुर, रंगून एवं बाद में कराची में भी विभाग की शाखाएं खोली गईं।

9.12 सरकार के बैंकर एवं सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करते हुए रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा नियंत्रण, मुद्रा विप्रेषण, परिचालन, लोक ऋण प्रबंध एवं नए ऋणों के निर्गम आदि कार्य भी किए। केंद्र सरकार अपना नकद शेष बिना ब्याज के रिज़र्व बैंक में जमा करती थी। इन कार्यों के संपादन से संबंधित शर्तों का निर्धारण आपसी सहमति से किया गया। सार्वजनिक निधि की सुरक्षा, ब्रांच नेटवर्क की पर्याप्तता तथा स्टाफ की विश्वसनीयता की दृष्टि से, जहाँ रिज़र्व बैंक के कार्यालय नहीं थे, ऐसे स्थानों पर ये कार्य इम्पीरियल बैंक की शाखाओं को दिया गया। आगे, जिन स्थानों पर इम्पीरियल बैंक की शाखाएं नहीं थीं, वहां सरकार के अनुरोध पर सरकारी कामकाज किसी अन्य बैंक को दिया गया, हालांकि निधि संबंधी उत्तदायित्व रिज़र्व बैंक पर ही रहा।

9.13 इन विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए रिज़र्व बैंक को अधिकांश स्टाफ मुद्रा नियंत्रण के कार्यालय, भारत सरकार और इसी बैंक से विरासत मिला। प्रारंभिक वर्षों में इन कार्यों को अंजाम देने की आवश्यक क्षमताओं का विकास संभव हुआ। व्यवहारिक प्रशिक्षण से ही परिचालन के दौरान मुद्रा प्रबंधन में इन्वेंटरी एवं लोजिस्टिकल जैसे

कार्य करने पड़ते थे तथा इनको करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो इन कामों को आसानी से कर सकते थे। ऐसे कार्यों में निष्ठा, ईमानदारी एवं विश्वसनीयता जैसे गुणों का बहुत महत्व है। अतः सामान्य तथा नकदी विभागों के लिए - 2 अलग - अलग 2 भर्ती नीतियां बनाई गईं। परंतु बैंकिंग कार्य अधिक औपचारिक बनाए गए एवं इनमें लेखा प्रक्रिया के ज्ञान को वांछनीय क्षमता माना गया। जबकि - नीति निर्माण का कार्य उच्च पदाधिकारियों के लिए सुरक्षित रखा गया।

9.14 11 अगस्त, 1943 के प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में श्री. सी.डी. देशमुख की नियुक्ति रिज़र्व बैंक की एक ऐतिहासिक घटना है। राजनैतिक शक्ति का बँटवारा, स्थानांतरण, निराशाजनक वृद्धि की संभावना, देश के बँटवारे से उत्पन्न परिस्थिति, सामाजिक हितों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कराधान नीतियों में बदलाव, एवं मुद्रास्फीति का निराकरण तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देने की नीति की पृष्ठभूमि में स्थायित्व सुनिश्चित करने वाली एक बात यह थी कि जून 1949 तक बैंक के गवर्नर कों नहीं बदला गया जिससे राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों में निरंतरता बनी रही (भा.रि.बैं.1970)। युद्धोत्तर काल में बढ़ते हुए कार्य दबाव से निपटने के लिए वर्तमान विभागों का पुनर्गठन किया गया।

9.15 युद्ध के वर्षों एवं बँटवारे से उत्पन्न जटिल समस्याओं की पृष्ठभूमि में आर्थिक आसूचना एवं अनुसंधान का महत्व बढ़ा। बैंक का कार्य सामान्य रूप से चलाने के लिए मुद्रा, वित्त, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा एवं अन्य समष्टिगत आर्थिक मामलों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, संगठन एवं विश्लेषण द्वारा इन काठिनाइयों का समाधान किया गया। अतः अनेक प्रकाशनों,एवं पत्रिकाओं एवं रिपोर्टों जैसे मासिक सांख्यिकीय सारांश, अंश धारकों को प्रस्तुत केंद्रीय मंडल की रिपोर्ट, केंद्रीय मंडल की समिति को वित्तीय स्थिति संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट, भारत में सहकारी आंदोलन की समीक्षा आदि का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके अलावा, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वित्त, भारत में स्टर्लिंग निवेश, आदि विषयों पर विशेष अध्ययन आरंभ किए गए। स्फीतिकारक दबावों के मद्देनज़र अगस्त 1945 में बड़े संगठनात्मक सुधार किए गए। कृषिऋण विभाग का तीन विभागों यथा - i) कृषि ऋण अनुभाग ii) मुद्रा एवं राजकोषीय क्षेत्रों में विभिन्न अध्ययनों के लिए सांख्यिकी एवं अनुसंधान iii) बैंकिंग अनुभाग - जिसको अनुसूचित बैंकों के दैनिक शेष के अभिलेख का रखरखाव, सांविधिक शेष राशि में न्यूनता के कारण दंडात्मक ब्याज की उगाही तथा केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त ऋण आवेदनों का निपटान करने का काम दिया गया। बैंक के कृषि ऋण, बैंकिंग परिचालन एवं आर्थिक अनुसंधान से संबंधित कार्यों के साथ न्याय करने के लिए सन् 1945 के उत्तरार्ध में पुनर्गठन के दूसरे दौर में सांख्यिकी एवं अनुसंधान अनुभाग को बढ़ाकर सांख्यिकी विश्लेषण एवं अनुसंधान विभाग का गठन किया गया तथा डाटा संग्रहण उनका विश्लेषण करने, अनुसंधान लेखों के प्रकाशन, नीति निर्माण के लिए आधारभूत सूचनाएं उपलब्ध कराने, तथा आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने , प्रयोजन के लिए इसी विभाग में आर्थिक आसूचना तथा आर्थिक अनुसंधान नाम के दो अलग प्रभाग भी बनाए गए। बैंकिग अनुभाग के बैंकिंग परिचालन विभाग में मिला दिया गया, जबकि कृषि ऋण विभाग एक अलग विभाग बना रहा। इस पुनर्गठन का उद्देश्य मौद्रिक और लोक ऋण नीतियों के बनाने, बैंकिंग के विनियमन तथा वित्तीय संस्थाओं को संवर्धन में, तथा युद्धोत्तर अवधि में सरकार के आर्थिक और वित्तीय सलाहकार के रूप में सक्रिय भूमिका निभाना था। अनुसंधान और सांख्यिकी विभाग की स्थापना का बहुत कुछ श्रेय गवर्नर सर सी. डी. देशमुख द्वारा की गई पहलों को जाता है (भा. रि. बैंक 1970)।

9.16 वर्ष 1945 में विश्व मुद्रा कोष (आइएमएफ) एवं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आइबीआरडी) की स्थापना के लिए हुई चर्चा एवं विचार में भागीदारी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन पहलों ने भारत के लिए इन संस्थाओं का सदस्य बनने का मार्ग सरल बना दिया। भारत सरकार रिज़र्व बैंक के साथ मशविरा करके इन दोनों संस्थाओं में एक कार्यनिदेशक की नियुक्ति करती है। भारत के लिए भुगतान संतुलन के आंकड़ों का महत्व समझ कर अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग में सन 1948 में भुगतान संतुलन प्रभाग का सृजन किया गया। इससे अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष को भुगतान संतुलन के आंकड़े भेजने के भारतीय रिज़र्व बैंक के उत्तरदायित्व का अनुपालन हुआ। पहली बार बैंक ने 30 जून 1948 की स्थिति के अनुसार भारत की विदेशी आस्तियों एवं देनदारियों का सर्वेक्षण किया तथा भारत के अंतरराष्ट्रीय निवेश संबंधी आंकड़े 1950 में प्रकाशित किए गए।

9.17 स्वतंत्रता के पहले दो दशकों में देश के बैंकिंग क्षेत्र में भारी बदलाव आए। इन दो दशकों में सुदृढ़ीकरण किया गया तथा संस्था निर्माण की दिशा में रिज़र्व बैंक ने अथक प्रयास किए। इन प्रयासों के फलस्वरूप कई विशेष संस्थाओं के विकास को बल मिला। इससे रिज़र्व बैंक के कार्य-क्षेत्र का विस्तार हो कर विकास परक कार्यों पर उसका ध्यान केंद्रित हुआ।

9.18 वर्ष 1949 में देश के बैंकिंग इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई यथा - रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीकरण एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का परित होना। पहली घटना के परिणामस्वरूप स्वतंत्र भारत

की आशाओं की पूर्ति के लिए बैंकों के परिचालनों का पुनर्गठन करने के लिए प्रयास शुरू किए गए तथा दूसरी के कारण इसे समग्र बैंकिंग प्रणाली का व्यापक नियंत्रण एवं विनियमन करने की शक्तियाँ मिलीं। अधिनियम के प्रावधानों में बैंकों की ऋण नीति पर नियंत्रण; शाखा लाइसेंसिंग प्रणाली; बैंकों द्वारा आवधिक विवरणियों का प्रेषण; बहियों एवं खातों की जांच के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट बनाने की व्यवस्था शामिल थी। उल्लेखनीय है कि अधिनियम ने यह व्यवस्था भी की कि रिज़र्व बैंक ''भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति'' विषय पर एक वार्षिक सांविधिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा। इस समय तक बैंकिंग परिचालन विभाग उक्त अधिनियम के अधीन उसको सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाने में भली भांति सक्षम हो गया था।

II. कार्यात्मक एवं संगठनात्मक विकास (1950 से 1970 का दशक)

9.19 1950 से 1970 के बाद के दशकों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 बनने के बाद सहकारी संस्थाओं को ऋण आबंटन में रिज़र्व बैंक ने काफी उदारीकरण किया। ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति (1949) की स्थापना ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में एक मील का पत्थर थी। समिति की सिफारिशों के अनुसार, कृषि ऋण विभाग को सुदृढ़ बनाया गया तथा सन् 1950 में बैंकिंग विकास विभाग की स्थापना की गई जिसने रिज़र्व बैंक के विकास प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उद्योग ऋण संबंधी मामलों का निपटान किया। कृषि ऋण के संबंध में समेकित नीति के निर्माण के लिए बैंक के तत्वाधान में अखिल भारत ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण संपन्न हुआ (1951)। इन उपायों का उद्देश्य अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार; ग्रामीण वित्त की समस्या का समाधान; मझौले एवं लघु उद्योगों के वित्त पोषण की समस्याओं का निपटारा (इस उद्देश्य के लिए राज्य औद्योगिक वित्त निगमों की स्थापना की गई) तथा ग्रामीण बचतों का संग्रहण था। निरीक्षण कार्यालय एवं बैंकिंग संस्थाओं के बीच लगातार संपर्क सुनिश्चित करने के लिए देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर रिज़र्व बैंक के कार्यालय स्थापित कर निरीक्षण कार्य का विकेंद्रीकरण किया गया।

9.20 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निहित औद्योगिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में उद्योग क्षेत्र को संगठित वित्त उपलब्ध करवाने की आवश्यकता ने आधारभूत वित्तीय ढांचे के विकास की ओर बैंक की नीतियों का ध्यान खींचा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (1948) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस दिशा में उठाया गया पहला प्रयास था। इसके बाद राज्य स्तर पर उसी प्रकार के निकाय स्थापित करने के लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 पारित किया गया। भारतीय औद्योगिक एवं निवेश निगम (आइसीआइसीआइ,1951) ने निजी क्षेत्र के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करके औद्योगिक क्षेत्र में ऋण सुविधाओं का विस्तार किया। इसके अलावा इस दौर में इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई 1955) तथा इसके सहयोगी बैंकों का सहायक कंपनियों के रूप मे पुनर्गठन किया गया। अतः अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित अर्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए। इन प्रयासों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के वित्तपोषण को भी प्रोत्साहन मिलने की आशा की गई। रिज़र्व बैंक की शक्तियों में विस्तार करने के लिए बैंकिंग कंपनी (संशोधन) अधिनियम 1950 द्वारा भारत के बाहर बैंक शाखाओं की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए। इसके अलावा सन् 1959 में अधिनियम में एक और संशोधन द्वारा विदेशी शाखाओं के निरीक्षण की शक्ति भी रिज़र्व बैंक को देकर उसकी निरीक्षण शक्तियों का विस्तार किया गया (भा.स.1972)। इसके अतिरिक्त जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गैर बैंकिंग गतिविधियों को रिज़र्व बैंक के विनियमन के दायरे में लाने हेतु मार्च 1966 में गैर बैंकिंग कंपनी विभाग की स्थापना हुई।

9.21 संबंधित क्षेत्रों में स्थित करेंसी चेस्टों उनकी सेवाओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के लिए देश के बँटवारे के बाद दिल्ली में निर्गम विभाग का स्वतंत्र कार्यालय एवं गुवाहाटी में उप कार्यालय खोला गया। बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 के पारित होने के बाद बैंक को अत्यधिक विधिक कार्य अपने हाथ में लेना पड़ा। बैंक के सांविधिक उत्तरदायित्वों के निपटान में आने वाली बढ़ती हुई विधिक जटिल समस्याओं को निपटाने के लिए एक विधि प्रभाग (1950) की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय संघ के राज्यों में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का विस्तार होने पर राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण से संबंधित बड़ी कठिनाइयाँ सामने आईं। इस पृष्ठभूमि में विधि प्रभाग का दर्जा बढ़ा कर उसे विधि प्रभाग बनाया गया (1960)। इसके अलावा पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए पूर्ववर्ती मुख्य लेखाकार कार्यालय में परिसर अनुभाग का विस्तार करके सन् 1965 में परिसर विभाग की स्थापना की गई।

9.22 पारंपरिक केंद्रीय बैंकिंग कामकाज में आवश्यक क्षमता विकसित करने तथा ग्रामीण एवं औद्योगिक वित्त का विस्तार करने में सफलता प्राप्त करने के बाद विशेष संस्थाओं का विकास तथा कुछ कार्यों को अलग करके मुख्य केंद्रीय बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत महसूस की गई। बुलियन एवं शेयर बाजार के साथ घनिष्ठ

संबंध होने के कारण तत्संबंधी व्यापार के बारे में रिज़र्व बैंक की सलाह मांगी जाती थी, अतः बुलियन एवं शेयर व्यापार संघों के गवर्निंग बोर्ड में अधिकारी प्रतिनियुक्त करने की व्यवस्था की गई। रिज़र्व बैंक के साथ घनिष्ठ समन्वय करके भारत सरकार ने 1956 वर्ष में प्रतिभूति व्यापार का विनियमन करने हेतु कानून बनाए (भा.रि. बैं.1970)। बाद में ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन एवं बंबई ऑयल सीड एक्सचेंज के बोर्डों मे बैंक अधिकारी भी नामित किए गए।

9.23 संस्थागत मशीनरी में निरंतर सुधार करने के लिए बैंक ने निक्षेप बीमा निगम (1962); बैंक की अनुषंगी के रूप में कृषि पुनर्वित्त निगम (1963); भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (1964) एवं यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (1964) की स्थापना की। भारतीय ऋण प्रतिभूति निगम लिमिटेड (1971) की स्थापना रिज़र्व बैंक द्वारा की गई जिसके बोर्ड में बैंक ने अपने दो अधिकारी नियुक्त किए।

9.24 युद्ध के वर्षों में लेखों का ऊपरी दिखाना, कम आंतरिक शक्ति वाले बैंकों का खुलना, जमाराशि आकर्षित करने के लिए अस्वस्थ तरीकों का प्रयोग, बैंकों, बीमा कंपनियों एवं औद्योगिक घरानों में गैर कानूनी रूप से आपसी संबंध आदि प्रवृतियों से जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान होता था। युद्धोत्तर काल में इन समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक बैंकिंग कानून की आवश्यकता महसूस हुई । इसके बाद, निरंतर बलवती होती हुई इस भावना कि बिना हस्तक्षेप के रिज़र्व बैंक समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं है, 'सामाजिक नियंत्रण' के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। आर्थिक वृद्धि एवं अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बैंकों पर कुछ नियंत्रण स्थापित करने की जरूरत समझी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने सन् 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीकरण किया ताकि तुलनात्मक रूप से बहुत कम बैंकिंग सुविधाओंवाले क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार किया जा सके। इस अवधि में रिज़र्व बैंक ऋण आयोजना पर ध्यान केंद्रित करने तथा वाणिज्यिक बैंकों को ऋतुवार तथा क्षेत्रवार आदि ऋण की मात्रा का आकलन करने में सहायता करने का प्रयास कर रहा था। ऋण आयोजना का एक कार्यात्मक लक्षण यह था कि ऋण नीति का निर्माण बैंकरों के साथ विचार-विमर्श के बाद किया जाता था तथा मौद्रिक नीति को ऋण नीति की सहायक का दर्जा दिया गया। ऋण निपटान को एक महत्वपूर्ण विषय माना गया तथा कुछ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह की सावधानी से निगरानी की जाती थी। ऋण नीति के निर्माण एवं 1969 में आरंभ की गई अग्रणी बैंक योजना की निगरानी के लिए अप्रैल 1970 में ऋण आयोजना एवं बैंकिंग विकास कक्ष की स्थापना की गई। अग्रणी बैंक योजना की निगरानी का कार्य बाद में बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग को स्थानांतरित किया गया। यह कक्ष जो कि सचिव विभाग के एक भाग के रूप में काम करता था, सन् 1975 में स्वतंत्र ऋण आयोजना कक्ष के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

III. संरचनात्मक पुनर्गठन (1980 का दशक)

9.25 अब तक विभिन्न संकट पूर्ण परिस्थितियों ने नीति निर्माताओं को नीतियों में प्रयोग करने, समय-समय पर सांस्थनिक संरचना का पुनर्गठन करने तथा आवश्यकतानुसार प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने को प्रेरित किया, विशेषकर बैंकिंग, विनिमय दर प्रबंध तथा मुद्रा नियंत्रण के क्षेत्रों में। परंतु समाज की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अपनी समयानुरूप व्यवस्था करने की शक्ति का प्रयोग वांछनीय पेशेवर तरीके के साथ किया। यह तथ्य है कि इस अवधि में सामाजिक हितों से समर्थित राजकोषीय विस्तार की नीति से रिज़र्व बैंक के नीतिगत प्रयासों को मुद्रास्फीति संभावनओं एवं दबावों के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित किया।

9.26 इस खंड के शेष भाग में आर्थिक परिस्थितियों में आए परिवर्तनों के फलस्वरूप बदलती हुई जरूरतों के कारण विभागों के सृजन एवं लोप से रिज़र्व बैंक के संरचनात्मक ढांचे में आए बदलावों का वर्णन किया गया है।

9.27 बढ़ती हुई जिम्मेदारियों की पृष्ठभूमि में बैंक के प्रशासनिक तंत्र में विस्तार किया गया। मुख्य लेखापाल कार्यालय (अप्रैल 1965) का पुनर्गठन किया गया जिसने नए विभागों का सृजन हुआ। इनमें प्रशासन एवं कार्मिक विभाग प्रथम था। उत्तरदायित्वों में कई गुना वृद्धि के कारण विशेषज्ञता का लाभ लेने, कार्यों में अतिव्याप्ति से बचने तथा जिम्मेदारियों को पुनर्परिभाषित करने के लिए सन् 1981 में प्रशासन एवं कार्मिक विभाग का विभाजन करके प्रशासन विभाग एवं कार्मिक नीति विभाग का निर्माण किया गया। इस प्रकार अस्तित्व में आया लेखा एवं व्यय विभाग दूसरा था जो बैंक के आंतरिक लेखा, सरकारी कामकाज एवं सार्वजनिक ऋण प्रबंध, नोट निर्गम एवं विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण का कामकाज देखता था। लेखा एवं व्यय विभाग को विभाजित करके तीन अलग-अलग इकाइयां बनाई गयीं। जिनमें मुद्रा प्रबंध विभाग पहली है, तथा यह नोट निर्गम, मुद्रा प्रबंध तथा करेंसी चेस्ट एवं छोटे सिक्कों का डिपो स्थापित करना जैसे मुख्य केंद्रीय बैंकिंग कार्यों के प्रबंध हेतु नीति उपाय करने का कार्य करता है। यह विभाग देश में पर्याप्त संख्या में अच्छी क्वालिटी के नोट एवं देश में सिक्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह विभाग सरकार

एवं नोट मुद्रण प्रेसों के साथ घनिष्ठ निकटता से काम करता है। यह लगातार बैंक नोटों के सुरक्षा लक्षणों की समीक्षा करके समय-समय पर जालसाजी निवारक उपाय करता है। दूसरी इकाई व्यय एवं बजट नियंत्रण विभाग है जो वार्षिक बजट का निर्माण तथा व्यय एवं बजट आबंटन की समीक्षा, भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं कर्मचारी गृह ऋण योजना से संबंधित कामकाज देखता है। तीसरी इकाई यानी सरकार एवं बैंक खाता विभाग जिसे सरकार का बैंकर, केंद्र एवं राज्य सरकारों के लोक ऋण का प्रबंध, बैंक के आंतरिक खातों का रखरखाव, वार्षिक लाभ-हानि लेखा तथा बैंक का तुलन पत्र बनाने की जिम्मेदारियां दी गईं।

9.28 पूर्ववर्ती लेखा एवं व्यय विभाग के विदेशी लेखा प्रभाग को अलग करके सन 1986 में बाह्य निवेश एवं परिचालन विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग के कार्यों में विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं स्वर्ण का प्रबंध एवं निवेश, बैंक की तसंबंधी नीति के अनुसार रुपए की विनिमय दर का प्रबंधन, विदेशी मुद्रा कोष, विश्व बैंक एशियाई विकास बैंक सहित भारत सरकार के विदेशी लेन-देन का कार्य आदि, स्वर्ण नीति संबंधी मामले तथा भारत एवं रूस के मध्य बैंकिंग व्यवस्था का समन्वय आदि शामिल थे।

9.29 बैंक के कामकाज में आई भारी वृद्धि के कारण जनवरी 1982 में विभागों के पुनर्गठन पर पुनः ध्यान केंद्रित किया गया। तदनुसार सन् 1959 में स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित अर्थशास्त्र विभाग को, समुचित आकार सुनिश्चित करते हुए आर्थिक मामलों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया। नीतिगत, विशेषकर भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय घटनाओं से संबंधित, मामलों पर बैंक को सलाह एवं सहायता देना इस विभाग का प्राथमिक कर्त्तव्य है। विभाग नीति परक आर्थिक अनुसंधान करता है तथा समुच्चयगत मौद्रिक, भुगतान संतुलन, देशी/ धर्मवष्टिक वित्तीय बचत, राज्य वित्त तथा पूंजी बाजार से संबंधित आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। केंद्रीय बोर्ड की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए यह विभाग आर्थिक एवं वित्तीय रिपार्टें तैयार करता है तथा शीर्ष प्रबंध तंत्र एवं अन्य परिचालन विभागों के प्रयोगार्थ प्रबंध सूचना प्रणाली का रखरखाव करता है। वास्तविक क्षेत्र के अलावा वित्तीय प्रणाली की सभी गतिविधियों के संबंध मे लगातार नीति परक अनुसंधान द्वारा इस लक्ष्य की पूर्ति की जाती है।

9.30 यह विभाग, जो बैंक के आर्थिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, को पांच बड़ी इकाइयों यथा आंतरिक वित्त; अंतरराष्ट्रीय वित्त; मूल्य; उत्पादन, पूंजी बाजार एवं राष्ट्रीय आर्थिक मानदंड; एवं एक सामान्य इकाई में विभाजित किया गया। बदलते आर्थिक पर्यावरण एवं वैश्विक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व के कारण विभाग में कई परिवर्तन किए गए। अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान के लिए विशेष अनुसंधान इकाई का सृजन किया गया। अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए 1986 में एक विशेष अध्ययन इकाई का गठन किया गया। सन् 1991 में नीतिगत महत्व के सामयिक विषयों का अध्ययन करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों, विशेष कर शिक्षा क्षेत्र के विद्वानों, के साथ संयुक्त अध्ययन हेतु विकास अनुसंधान दल का गठन किया गया। सन् 1997 में पूंजी बाजार के संसाधन संग्रहण स्रोतों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने तथा निवेश के पर्यावरण, पूंजी बाजार एवं संस्थागत निवेशकों पर विश्लेषणात्मक अनुसंधान के लिए पूंजी बाजार प्रभाग की स्थापना की गई। विभाग के पंद्रह क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियों का समन्वय करने एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचना सहित बाजार आसूचना के केंद्रीय एकक के रूप में कार्य करने के लिए सन् 2001 में वित्तीय बाजार निगरानी इकाई का गठन किया गया। ग्यारहवें वित्तआयोग की सिफारिशों तथा स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत एवं निर्वहनीय बनाने के लिए किए गए तथा 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधनों के प्रावधानों की सिफारिशों के अनुरूप राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग से अलग करके राज्य एवं स्थानीय निकाय प्रभाग का सृजन किया गया तथा साथ ही राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग का नाम बदल कर केंद्रीय वित्त प्रभाग किया गया।

9.31 बैंक सात मुख्य आवधिक प्रकाशनों यथा - वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट, मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राज्य वित्त सांख्यिकी पुस्तकें पाँच वार्षिक; साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक सहित मासिक बुलेटिन एवं वर्ष में तीन अनुसंधान जर्नल भारतीय रिज़र्व बैंक आकेजनल पेपर्स का प्रकाशन करता है। यह नोट करना उल्लेखनीय होगा कि अपने समकालीन केंद्रीय बैंकों के बीच अपनी अग्रणी स्थिति का रेखांकन करते हुए जनवरी 1947 में एक मासिक आर्थिक एवं वित्तीय जर्नल रिज़र्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन का प्रकाशन शुरू किया। विश्लेषणात्मक उत्तमता, विस्तार एवं सामयिकता से इन प्रकाशनों ने बाजार - सहभागियों, विश्लेषकों, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा अंतरराष्ट्रीय जगत में संदर्भ-दस्तावेजों के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस दिशा में विभाग के प्रायासों को सुदृढ़ किया गया तथा वर्ष 1998-99 से मुख्य संकल्पना पर आधारित मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट का प्रकाशन करने, सन् 2005 से समष्टि अर्थव्यवस्था एवं मौद्रिक घटनाओं की त्रैमासिक समीक्षा के प्रकाशन तथा विषयाधारित वार्षिक हैंडबुक आफ स्टेटिस्टिक्स के प्रकाशन के लिए कदम उठाए गए।

9.32 इसके अतिरिक्त, विभाग अंतरराष्ट्रीय सहयोग सर्वेक्षण एवं सरकारी रुपया प्रतिभूति स्वामित्व की रूपरेखा का सर्वेक्षण करता है। समय के साथ-साथ बैंक की सरकार के सलाहकार की भूमिका में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। सन् 1989 में अपने प्रकार के पहले प्रयास में, विभाग के अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का आकलन किया। सन् 1991 के वित्तीय क्षेत्र सुधारों में विभाग ने विशेष सहयोग दिया, विशेष कर बैंकिंग एवं भुगतान संतुलन सहित राजकोषीय एवं वित्तीय क्षेत्रों में मुद्रा आपूर्ति के विषय पर गठित तीन कार्यदलों की रिपोर्टों की तैयारी में विभाग ने महत्वपर्ण भूमिका निभाई। सन् 1997 में सार्वजनिक ऋण सीमा तथा राजकोषीय घाटे के स्वत: मौद्रीकरण से संबंधित राजकोषीय मुद्दों पर तकनीकी पेपर्स की तैयारी में विभाग ने सक्रिय भूमिका निभाई। विभाग ने सरकारी गारंटियों को बढ़ाने के मुद्दे पर जोखिमों के मूल्यांकन पर तकनीकी रिपोर्ट के रूप में अंतर्दृष्टि प्रदान की है।

9.33 परिचालन विभागों के अलावा भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक आदि) तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों ने विभाग के अधिकारियों की सेवाओं का निरंतर लाभ लिया। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं विशेषज्ञ दलों जैसे आइ एम एफ, बी आइ एस, जी-20 तथा अन्य साख निर्धारण संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श का काम प्रायः यह विभाग करता है।

9.34 अखिल भारतीय सर्वेक्षण, निगमों के वित्तीय लेखा की समीक्षा, प्रतिभूति मूल्य सूचकांकों का समेकन, निधि प्रवाह के आकड़ों का समेकन आदि महत्त्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन एवं आर्थिक अध्ययन करने के लिए सन् 1959 में पूर्ववर्ती अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग से निकालकर एक अलग सांख्यिकी विभाग का सृजन किया गया।पूर्ववर्ती आर्थिक विभाग के साथ कुछ कार्य क्षेत्रों का आदान-प्रदान कर सन् 1984 में विभाग का पुनर्गठन करके एक अलग सांख्यिकी विश्लेषण एवं कम्प्यूटर सेवा विभाग का गठन दिया गया। केंद्रीय कार्यालय की सहायता करने के लिए 1985-86 वर्ष में चेन्नई, कोलकता एवं नई दिल्ली में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना के साथ सन् 1995 में एक और संरचनात्मक परिवर्तन किया गया। समय के साथ डीसेक्स ने बैंकिंग, कंपनी वित्त एवं भुगतान संतुलन; विश्लेषणात्मक अनुसंधान तथा बैंक के लिए लाभकारी सांख्यिकीय पद्धतियों के प्रयोग के क्षेत्र में बृहत् सांख्यिकीय प्रणालियों की आयोजना एवं विकास में दक्षता विकसित की है।

9.35 बैंकिंग, निगम एवं बाह्य क्षेत्रों से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं प्रसार; नमूना सर्वेक्षणों की आयोजना, रूपरेखा निर्माण एवं आयोजन; नीति निर्माण में सहायता हेतु सांख्यिकीय अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन; तथा शीर्ष-तंत्र को फैसले करने में सहायता करना आदि विभाग के मुख्य कार्य हैं। यह विभाग भारत सरकार से संबंधित आंकड़े एकत्र करने वाले राष्ट्रीय लेखा, उद्योग एवं मूल्य सूचकांकों आदि सांख्यिकीय कार्यालयों के साथ सहयोग करता है। यह विभाग भारत में बैंकिंग क्षेत्र के शाखास्तरीय विस्तृत आकड़ों तथा ऋण एवं जमा के आंकड़ों का संपूर्णता के आधार पर तथा जमा एवं निवेश के स्वामित्व पैटर्न आदि के प्रतिनिधिक आँकड़ों का एक मात्र भंडार है। इन आँकड़ों का प्रयोग पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचतों की गणना एवं केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा बचत अनुमान तैयार करने में किया जाता है। डीसेक्स निर्यात, आयात, बाह्य ऋण तथा बाह्य वाणिज्यिक ऋण से संबंधित बाह्य क्षेत्र के आंकड़े एकत्रित एवं व्यवस्थित करता है जिससे भुगतान संतुलन एवं विदेशी ऋण के आँकड़ों की गणना में मदद मिलती है, रिज़र्व बैंक का यह एक मात्र प्राथमिक स्रोत है। देश की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के लिए विदेशी ऋण एवं आस्तियों के आँकड़े एकत्र करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण एवं गणना की जाती है। निजी निगम क्षेत्र से सम्बंधित एक त्रैमासिक ''औद्योगिक स्थिति सर्वे'' का आयोजन किया जाता है। डीसेक्स केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा निजी निगम व्यापार क्षेत्र की बचत एवं निवेश के अनुमान के लिए सूचना उपलब्ध करवाता है।

9.36 हाल के वर्षों में विभाग ने नए कार्य जैसे अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग स्टेटिस्टिक्स का संग्रहण, साफ्टवेयर निर्यात का सर्वे तथा विशेष आँकड़े प्रसारण मानकों के रखरखाव शुरू किए हैं। सेंट्रल डाटा बेस मैनेजमेंट सीस्टम (सीडीबीएमएस 1998), जो अनुसंधान के लिए व्यापक आंकडे उपलब्ध करता है, का सृजन एक महत्वपूर्ण घटना है। नवंबर 2004 में रिज़र्व बैंक के वेब पेज के माध्यम से यह डाटाबेस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है। मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने तथा क्षमता उपयोग आदि के लिए सर्वे का आयोजन, विकास संकेतकों का विकास, व्यापक आर्थिक संकेतकों के पूर्वानुमान के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया में सुधार तथा बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सांविधिक व अन्य आंकड़ों के प्रेषण के लिए ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) की स्थापना के लिए भी कदम उठाए गए हैं। बैंक के अन्य विभागों को अपने अधिकारियों की सेवा उपलब्ध करवाने के अलावा डीसेक्स सूचना प्रौद्योगिकी; डाटा संग्रहण, संस्करण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण से संबंधित कार्यों में सहायता करता है।

9.37 भारत में कार्यरत बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों; भारत के वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित मूल सांख्यिकीय विवरणियों, वाणिज्यिक बैंक कार्यालय निदेशिका तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की त्रैमासिक सांख्यिकी की हैण्डबुक का प्रकाशन करता है। यह विभाग बैंकिंग, निगम सांख्यिकी आदि पर रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन में लेखों का योगदान करता है। इसके अलावा विभाग छपाई एवं इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा विभिन्न तदर्थ रिपोर्ट एवं ऐतिहासिक आंकड़े प्रकाशित करता है। तीन क्षेत्रीय कार्यालय सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों तथा बैंकों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं।

9.38 ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आबंटन की मल्टी-एजेन्सी नीति के समुचित क्रियान्वयन के लिए सन् 1979 में ग्रामीण आयोजना एवं ऋण कक्ष की स्थापना की गई। कक्ष ने स्टीयरिंग कमिटी आन रीजनल रूरल बैंक्स एण्ड कमेटी टु रिव्यू एरेंजमेंट्स फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट (क्रेफीकार्ड, 1979) के सचिवालय का काम किया। 1982 में आरपीसी एवं एसीडी का नाबार्ड में विलय किया गया। ग्रामीण ऋण के पर्यवेक्षण एवं निगरानी का कार्य नाबार्ड को स्थानांतरित करने के बाद रिज़र्व बैंक में सन 1982 में ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग की स्थापना की गई। आरपीसीडी की जिला ऋण योजना का निर्माण, प्राथमिकता प्राप्त को क्षेत्र ऋण, कमजोर वर्गों को ऋण, ग्रामीण विकास योजनाओं सहित अग्रणी बैंक योजना, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संबंधी मामलों एवं नाबार्ड के साथ समन्वय का कार्य देखता था। शहरी बैंक कक्ष, जो अब तक कृषि ऋण विभाग का भाग था, को बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग में स्थानांतरण शहरी बैंक प्रभाग का निर्माण किया गया। शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित बढ़ते हुए सांविधिक एवं विकास कार्यों के निपटान के लिए बाद में फरवरी 1984 में स्वतंत्र शहरी बैंक विभाग स्थापित किया गया ।

9.39 राज्य वित्तीय निगमों एवं लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ऋण गारंटी योजना के प्रशासन के लिए सन 1957 में औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना की गई। 1962 में डी आइ. सी. जी. सी. एवं सन् 1964 में आइ डी. बी. आइ. की स्थापना के बाद इनमें से कुछ कार्यों को हटाकर सन् 1981 में औद्योगिक ऋण विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया। औद्योगिक ऋण विभाग को उद्योगों को ऋण प्रवाह, रुग्ण इकाइयों, निर्यात ऋण से सम्बधित मामलों की देखरेख तथा ऋण प्राधिकरण योजना के प्रशासन के कार्य दिए गए। लघु उद्योग ऋण संबंधी कार्यों के निपटान तथा निर्यात ऋण एवं जिला उद्योग केंद्रों की निगरानी के लिए इसका विस्तार करके औद्योगिक एवं निर्यात ऋण विभाग का गठन किया गया। एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप जुलाई 2004 में आइ. ई. सी. डी. के कार्यों को डी. बी. ओ. डी., डी. बी. एस. एवं एम. पी. डी. में शामिल किया गया।

9.40 सन् 1986 में, रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए एकरूप विनियमों एवं नियमों के अधीन, केंद्रीय समाशोधन परिचालन की शुरूआत हुई। सभी समाशोधन केंद्रों पर समान रूप से लागू एक रूप विनियमों एवं नियमों में स्थानीय व्यवहारों से मेल खाने का अंतः निर्मित लचीलापन था।

IV. हाल की घटनाएं (1990 के पश्चात)

9.41 हाल ही की विगत घटनाओं (1990) के पश्चात सरकार तथा कुछ अनुमोदित संस्थाओं जैसे विदेशी बैंकों तथा भविष्य निधियों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का काम प्रतिभूति विभाग (बैंक की शुरूआत में बैंकिंग विभाग की एक इकाई) को सौंपा गया। यह विभाग बैंक द्वारा निर्गम एवं बैंकिंग विभागों में धारित तथा बीमा अधिनियम के अधीन बीमा कंपनियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा सांविधिक जमा के रूप में रखी गई, तथा अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूति के तौर पर जमा सरकारी प्रतिभूतियों का रखरखाव भी इस विभाग की जिम्मेदारी है। परंतु कालांतर में विभाग के कार्यों का सार्वजनिक ऋण कार्यालय, जमा लेखा विभाग तथा लोक लेखा विभाग को स्थानांतरण के कारण सन् 1990 तक इस विभाग ने अलग निकाय के रूप में काम करना बंद कर दिया ।

9.42 वित्तीय संस्था समिति (अध्यक्षः एम नरसिंहम, 1991) की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में एकीकृत निगरानी तंत्र की स्थापना के लिए में बैंक के पर्यवेक्षी तथा केंद्रीय बैंकिंग भूमिकाओं को अलग-अलग किया गया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमन, 1994 के अंतर्गत बी.एफ एस.) वित्तीय पर्यवेक्षी बोर्ड की स्थापना की गई। वित्तीय पर्यवेक्षी बोर्ड, जिसमें केंद्रीय निदेशक मंडल से नामित चार सदस्य होते हैं, की अध्यक्षता गवर्नर करता है। बैंक के उपगवर्नर पदेन इस बोर्ड के सदस्य होते हैं तथा उनमें से एक (नियमन एवं पर्यवेक्षण का प्रभार धारण करने वाले) उपगवर्नर को बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बोर्ड को वित्तीय प्रणाली के सभी घटकों यथा बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विकास वित्त संस्थाओं (एन.बी.पी.सी.), शहरी सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के

पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की शक्तियाँ दी गई हैं। 1993 में स्थापित पर्यवेक्षण विभाग को बैंक की कार्यकारी शाखा की भूमिका दी गई। विभिन्न प्रभागों को भिन्न-भिन्न वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने जिम्मेदारी दी गई। बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग को वाणिज्यिक एवं समानांतर बैंकिंग संस्थाओं के सांविधिक कार्यों की निगरानी का काम दिया गया। इनमें, अन्य के अतिरिक्त, बैंक नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन; दिशा निदेश जारी करना; शाखाओं एवं विस्तार काउंटरों के लाइसेंस प्रदान करना; विधायी कार्य; सांविधिक विवरणियों की प्राप्ति एवं समीक्षा करना; शिकायत निवारण तथा बैंक पुनर्निर्माण आदि शामिल हैं। ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं शहरी बैंक विभाग ने शहरी सहकारी बैंकों की निगरानी जारी रखी है।

9.43 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार पर्यवेक्षण विभाग को विस्तृत शक्तियां प्रदान की गईं। बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती हुई गतिविधियों एवं उसमें आ रहे प्रौद्योगिकीय बदलाव के कारण निरीक्षण प्रक्रियाओं में समयानुसार परिवर्तन की आवश्यकता के मद्देनजर पर्यवेक्षण विभाग बनाया गया तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों में किए गए व्यापक बदलावों के परिणामस्वरूप गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी की आवश्यकता के मद्देनजर वित्तीय कंपनी विभाग को सन् 1997 में गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में परिवर्तित कर दिया गया। इससे वित्तीय कंपनी विभाग का अस्तित्व समाप्त हो गया। वित्तीय एवं निवेश संस्थाओं के परिचालन की निगरानी के सन् 1990 में स्थापित वित्तीय संस्था कक्ष को, समन्वित एवं प्रभावी विनियमन तथा पर्यवेक्षण के लिए वित्तीय संस्था प्रभाग में परिवर्तित किया गया। बाद में प्रभाग के निगरानी कार्य का बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के साथ तथा विनियमन कार्य का बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग के साथ विलय कर दिया गया। संगठनात्मक युक्तियों से समन्वित पर्यवेक्षण का विकास संभव हुआ।

9.44 समय के साथ केंद्रीय बैंक कार्यों के निष्पादन में मानव संसाधन का महत्व महसूस किया गया। परिणामस्वरूप परवर्ती प्रशासन विभाग एवं कार्मिक नीति विभाग का पुनर्गठन करके मानव संसाधन विकास विभाग तथा प्रशासन एवं कार्मिक प्रबंध विभाग बनाए गए। पेशेवर आधार एवं बहुविषयक मानव संसाधनों से सुसज्जित मानव संसाधन विकास विभाग रिज़र्व बैंक की मानव संसाधन नीतियों के अधिष्ठान निर्माण एवं परिचालन का कार्य करता है तथा कार्मिक प्रबंधन में कर्मचारी हितों के प्रतिनिधित्व करता है तथा जनता की शिकायतों के समाधान सुनिश्चित करता था। एच.आर.डी.डी के प्रयासों के फलस्वरूप संगठन पुनर्जागरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण, युक्ति सम्मत बनाने के लिए बैंक के परिचालन का नियंत्रण करने वाले मैन्युअलों एवं अधिनियमों की जाँच, प्रशासन, स्थापना एवं आंतरिक रखरखाव आदि से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं की जाँच आदि के सुसुप्त विषयों का पुनर्जागरण करके उन्हें जांच के लिए समितियों को सौंपा गया। ग्राहक सेवा के बढ़ते महत्व के कारण बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सेवाओं में कमियों के बारे में सामान्य जनता से प्राप्त शिकायतों को दूर करने हेतु शिकायत निवारण कक्ष (अगस्त 1996) की स्थापना की गई। बाद में क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ऐसे कक्ष बनाए गए। स्टाफ में अपनेपन की भावना एवं निष्ठा विकसित करने के लिए विभाग एक त्रैमासिक गृहपत्रिका प्रकाशित करता है।

9.45 मुख्य केंद्रीय बैंकिंग के कार्यों पर पुनः ध्यान केंद्रित करने से कई घटनाएं घटीं। बदलते परिवेश के अनुसार मौद्रिक नीति के निर्माण एवं अन्य नीतिगत प्रयासों का उत्तरदायित्व संभालने वाले ऋण आयोजना कक्ष का 1 जनवरी, 1998 को नाम बदल कर मौद्रिक नीति विभाग कर दिया गया। मुद्रा, विदेशी मुद्रा एवं अन्य वित्तीय बाजारों के बढ़ते एकीकरण के मद्देनजर यह आवश्यक हो गया था। इसके बाद मूल्य स्थिरता, पर्याप्त चलनिधि से उपलब्धता तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बाजार विश्लेषण, नीति मूल्यन एवं कार्यान्वयन तकनीकों पर जोर दिया जाने लगा। सन 2005 में औद्योगिक एवं निर्यात ऋण विभाग के कुछ कार्यों का विलय होने से खाद्य ऋण सहित ऋण का क्षेत्रीय प्रवाह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मौद्रिक नीति विभाग के कार्य क्षेत्र में आई। वित्तीय बाजार विभाग की स्थापना के बाद मौद्रिक नीति विभाग की कुछ जिम्मेदारियां उसे दी गईं (ब्यौरे के लिए पैरा 9.51 देखें) संप्रेषण एवं मुद्रा नीति के संप्रेषण उपकरणों की प्रभाव शीलता बढ़ाने के लिए 2005-06 से छमाही नीति संबंधी वक्तव्य के स्थान पर वार्षिक नीति की तिमाही समीक्षा की शुरुआत की गई। नीति बनाने की प्रक्रिया को व्यापक आधार प्रदान करने की दृष्टि से मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति गठित की गई।

9.46 सन् 1970 में एक स्वतंत्र सचिव विभाग ने सचिव अनुभाग का कार्यभार संभाला। प्रेस एवं जनता के साथ व्यवहार करने के अतिरिक्त यह विभाग मुक्त बाजार परिचालनों, ऋण उगाही एवं अन्य सार्वजनिक ऋण संबंधी मामलों से जुड़े कार्य करता था। बाज़ार की गतिविधियों एवं बैंक के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी के लिए विभाग में सन् 1992 में, बाजार आसूचना कक्ष स्थापित किया गया, जिसका अब बैंकिंग

पर्यवेक्षण विभाग में कार्यरत विनियमन संस्था दल में विलय कर दिया गया। संरचनात्मक विकास के अनुरूप बैंक की नीति निर्माण संस्कृति में रूपांतरण में सचिव विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग की सहायता से उपगवर्नरों की उप-समिति की स्थापना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हाल की में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के विषय में बढ़ती रुचि के कारण सरकारी एवं बहुमुखी वित्तीय संस्थाओं के विदेशी प्रतिनिधि मंडलों से शीर्ष प्रबंध के साथ वार्तालाप के अनुरोधों से वृद्धि हुई है तथा सचिव विभाग इन बैठकों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकारी प्रतिभूति बाजार के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के प्रयासों के मद्देनजर सार्वजनिक ऋण प्रबंध का कार्य 1992 में सृजित आंतरिक ऋण प्रबंध कक्ष को दिया गया। अब यह कक्ष एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्य करता है। (अधिक ब्यौरे के लिए पैरा 9.48 देखें)।

9.47 सन 1969 में जन एवं प्रेस संपर्क मामलों की देखरेख के लिए अर्थशास्त्र विभाग में स्थापित प्रेस संपर्क प्रभाग को 1970 में सचिव विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। यह प्रभाग समय के साथ-साथ केंद्रीय बैंकिंग विषयों पर जन सामान्य को शिक्षित करने, बैंक की वेबसाइट का प्रबंध, शीर्ष पदाधिकारियों के संवाददाता सम्मेलन आयोजित करना तथा एक पक्षिक पत्रिका का प्रकाशन और बैंकों एवं जनता में सूचना के प्रसार हेतु मौद्रिक एवं ऋण सूचना समीक्षा नामक मासिक पत्र का प्रकाशन जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करता है। प्रभाग सामान्यतः बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से संबंधित तथा विशेषकर रिज़र्व से संबंधित प्रासंगिक विषयों पर प्रकाशित होने वाली मीडिया रिपोर्ट की निगरानी करता है। प्रभाग को पारदर्शिता, सामयिकता एवं विश्वसनीयता के मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाली पारदर्शी एवं उभयमार्गी संप्रेषण नीति विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

9.48 सचिव विभाग में कार्यरत सार्वजनिक ऋण, मुक्त बाजार परिचालन एवं अर्थोपाय से संबंधित अनुभागों का विलय करके आंतरिक ऋण प्रबंध कक्ष का सृजन किया गया। पूर्ववर्ती कार्यों एवं ''सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सक्रिय एवं दक्ष बाजार के विकास को प्रोत्साहन'' देने के अपने उद्देश्यों को जारी रखने के साथ-साथ मौद्रिक नीति के भाग के रूप में आंतरिक ऋण प्रबंध से संबंधित नीतियों का विकास करने के लिए बहु विषयक इकाई के रूप में कक्ष का सृजन किया गया। मौद्रिक नीति के सक्रिय उपकरण के रूप में मुक्त बाजार परिचालनों की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के कारण तथा इसकी गतिविधियों के महत्व को दर्शाने के लिए आई.डी.एम.सी. का विस्तार तथा नाम परिवर्तन करके 7 मई 2003 को आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग का गठन किया गया।

9.49 परिवर्तनशील वैश्विक परिवेश की प्रक्रियाओं के कारण प्रौद्योगिकी विकास तथा विकसित होते अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता महसूस की गई। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा अन्य विभागों को केंद्रीकृत तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जनवरी 1995 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग सरकार एवं बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, पूर्णतया रिज़र्व बैंक से वित्त सहायता प्राप्त एवं रिज़र्व बैंक द्वारा 1996 में स्थापित, के साथ व्यवहार का केंद्र है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं मानव संसाधन विकास विभाग के सृजन के बाद सन् 1979 में स्थापित तथा संगठनात्मक विश्लेषण, प्रणाली अध्ययन एवं विकास, कार्य-प्रक्रिया अध्ययन एवं कूटबद्ध करना, मानव शक्ति आयोजना आदि कार्य करने वाले प्रबंधन सेवा विभाग का लोप हो गया।

9.50 उदारीकृत ढांचे में बाह्य क्षेत्र प्रबंध नीति में मौलिक बदलाव आए। चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता तथा पूंजी खाते में परिवर्तनीयता की क्रमिक वृद्धि नई नीति के मुख्य अंश थे तथा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (1947 एवं 1973) को समाप्त कर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) (जून 2000) लागू किया गया। लक्ष्यों एवं नीति में आये परिवर्तन को लक्षित करते हुए सन 1991 के बाद विनिमय नियंत्रण विभाग (1939) का आकार घटाया गया तथा 31 जनवरी 2004 को इसका नाम बदल कर विदेशी मुद्रा विभाग किया गया।

9.51 वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों में हुए घटनाक्रम की दृष्टि से 2005 का वर्ष महत्वपूर्ण था। इस वर्ष में रिज़र्व बैंक के क्रिया कलाप पर आगामी वर्षों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले दो विभागों की स्थापना हुई। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कार्यों में बदलाव लाने तथा रिज़र्व बैंक में मौद्रिक परिचालनों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से तथा ऋण प्रबंधन एवं मौद्रिक परिचालनों के विभाजन के लिए वित्तीय बाजार विभाग ने जुलाई 2005 में काम करना शुरू किया। इस विभाग ने मुद्रा नीति विभाग के मुद्रा परिचालन एवं चलनिधि का पूर्वानुमान लगाने संबंधी कार्य तथा सरकारी प्रतिभूति एवं विनिमय बाजार में घरेलू परिचालन के कार्य संभाले। इसके अतिरिक्त बाजार स्थिरीकरण योजना की निगरानी, मौद्रिक नीति तथा वित्तीय स्थायित्व पर प्रभाव डालने वाले बाजार निगरानी कार्य तथा नीतियों का समन्वय का कार्य भी विभाग ने संभाला।

9.52 वित्तीय क्षेत्र के आधार के रूप में कार्य करने वाली भुगतान एवं निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण संबंधी संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सेंट्रल बोर्ड की समिति के समिति रूप में कार्य

करने के लिए भुगतान एवं निपटान प्रणाली बोर्ड की स्थापना की गई जिसने फरवरी 2005 में अपना कार्य आरंभ किया। यह बोर्ड भुगतान एवं निपटान संबंधी नीतियों का निर्माण करता है तथा इन प्रणालियों की सदस्यता को चालू रखने, खत्म करने तथा अस्वीकार करने के संबंध में मानदंड निर्धारित करता है। उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति तथा इनके लिए आधारभूत सहायता देने के लिए एक भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग की स्थापना की गई जिसने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्य लेकर मार्च 7, 2005 को कार्य आरंभ किया। भुगतान एवं निपटान प्रणाली संबंधी (DPSS) नीति निर्माण; प्रणाली परिचालन का नियमन पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण; प्रमुख सिद्धान्तों एवं मानकों का क्रियान्वयन; बी.पी.एस.एस. का सचिवालय; राष्ट्रीय भुगतान परिषद, भुगतान प्रणाली सलाहकार समिति से संबंधित कार्य; प्रणाली गत महत्व की भुगतान प्रणाली योजनाओं की रूपरेखा निर्माण, विकास एवं समेकन तथा अंततः इन विषयों पर सरकार के साथ परस्परिक व्यवहार का कार्य देखता है। परंतु प्रणाली में भागीदार संस्थाओं के पर्यवेक्षण का कार्य संबंधित कार्यकारी विभागों जैसे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा वाणिज्यिक बैंकों का, सहकारी ऋण क्षेत्र का नाबार्ड द्वारा, शहरी सहकारी बैंकों का शहरी बैंक विभाग द्वारा एवं भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सी.सी.आइ.एल.) और प्राथमिक व्यापारियों का आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा किया जाता रहेगा।

9.53 मुद्रा प्रबंध के क्षेत्र में, मुद्रा प्रबंध विभाग ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हाल के वर्षों में सत्यापन के स्वचालन तथा नोटों के प्रसंस्करण, छंटाई तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ब्रिकेटिंग विधि द्वारा नष्ट करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस परिदृश्य में मैसूर (कर्नाटक) तथा सालबनी (पश्चिम बंगाल) में स्थिति एवं रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामीत्व वाली दोनों नोटमुद्रण प्रेसों के प्रबंध के लिए सन् 1995 में भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड कंपनी (कंपनी एक्ट 1956 के अधीन पंजीकृत) की स्थापना की गई। कंपनी ने पहले से नासिक एवं देवास में कार्यरत नोट प्रिंटिंग प्रेसों के आधुनिकीकरण के लिए साधन जुटाने की पहल शुरू कर दी है। बैंक के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण घटना देश में अपनी प्रकार के सर्वप्रथम मुद्रा संग्रहालय की स्थापना है, जिसे जनवरी 1, 2005 को जनता के लिए खोला गया। मुद्रा संग्रहालय में नवपाषाण युग के मानव निर्मित एवं प्रदर्शन योग्य वस्तुओं से लेकर आधुनिक समय के मूल्य संग्रह कार्ड प्रदर्शित किए गए हैं तथा यह कम्प्यूटर खोखे पर ई-मुद्रा एवं मुद्रा-खेलों के माध्यम से सूचना प्रदान कर जन सामान्य की प्रसन्नता का कारण बना है।

9.54 इसके अतिरिक्त बैंक ने स्थानीय एवं पड़ोसी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 22 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क स्थापित किया है। ये कार्यालय स्थानिक प्रकार की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

V. मानव शक्ति प्रबंध

9.55 भर्ती एवं पदोन्नति के क्षेत्रों में बैंक ने अपने अनुभव से ज्ञान अर्जित कर अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नीतियां बनाई (भा. रि. बैंक, 1970) परिचालन के प्रारंभिक वर्षों में उच्च पदों पर इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया एवं भारत सरकार से लिए गए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। बैंक ने मुद्रा नियंत्रक कार्यालय के स्टाफ को स्थायी तौर पर तथा इम्पीरियल बैंक के स्टाफ को अस्थायी तौर नियोजित करने का प्रयास किया। अस्थायी स्टाफ को भी धीरे-धीरे बैंक में शामिल कर लिया गया। अभिलेखों से यह पुष्टि होती है कि गवर्नर ने विशेष योग्यताधारी अधिकारियों को विभिन्न सेवाओं से उधार लेने या करार आधार पर नियुक्त करने एवं योग्यता पर आधारित सेवा शर्तें नियत करने की सिफारिश की। यूरोपीय अधिकारियों का समुचित अनुपात सुनिश्चित करने का प्रयास भी आवश्यक समझा गया। इन वर्गों के अलावा वर्तमान श्रेणियों एवं संवर्गों को ही पदोन्नति में वरीयता दी गई। इस समय प्रक्रिया गत विवरण की समझ एवं परिश्रम करने की तत्परता को शैक्षिक श्रेष्ठता पर वरीयता दी गई। बाद में समय-समय पर भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया गया तथा स्टाफ का पुनर्वर्गीकरण किया गया। उच्च योग्यता धारी कार्मिक भर्ती करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए तथा प्रतिभा सरंक्षण के लिए सुविचारित रणनीतियों का प्रयोग किया गया।

9.56 तत्कालीन आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों से मेल खाते भर्ती तरीकों को अपनाने के लिए गवर्नर ने कई बार अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया। जैसे-जैसे बैंक के कार्यों में विविधता आई, विशेषतः कृषि ऋण के क्षेत्रों में, तो मौजूदा कार्मिक गुणवत्ता की दृष्टि से अपर्याप्त सिद्ध हुए, अतः विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए संवर्ग बनाए गए। इसके साथ गवर्नर ने प्रशिक्षु अधिकारियों की वार्षिक भर्ती की आवश्यकता महसूस की तथा इसके अलावा बैंक परिचालन में विस्तार से उठने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षु सहायकों के रूप में भर्ती किया गया। अतः एव गवर्नर के आदेशों के अनुरूप यह निर्णय किया गया कि भविष्य की सक्षमता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षतया

बाक्स IX 1
भारतीय रिज़र्व बैंक में संचालन संरचना - वर्तमान व्यवस्थाएं

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य एवं उत्तरदायित्वों का स्रोत भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिनियम, 1934 है। बैंक के मामलों एवं कारोबार के सामान्य अधीक्षण एवं निदेशन की शक्तियाँ केंद्रीय निदेशक मंडल में निहित हैं तथा अधिकतम केंद्रीय निदेशक मंडल में गवर्नर, केंद्र सरकार द्वारा, धारा 8 (1) (क) के अधीन नियुक्त अनधिक चार-उप गवर्नर, धारा 8 (1)(ख) के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा, प्रत्येक स्थानीय मंडल से एक, चार नामित निदेशक, धारा 8 (1)(ग) के अधीन भारत सरकार द्वारा नामित दस निदेशक एवं धारा 8 (1)(घ) के अधीन नामित एक सरकारी अधिकारी शामिल हैं। गर्वनर एवं उप गवर्नर का कार्यकाल, अधिकतम पांच वर्ष, केंद्र सरकार द्वारा नियत किया जाता है तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र समझे जाते हैं। गवर्नर की अनुपस्थिति में, उनके द्वारा नामित उप गवर्नर केंद्रीय मंडल की अध्यक्षता करता है।

केंद्रीय मंडल की हरेक तिमाही में कम से कम एक एवं वर्षभर में कम से कम छः बैठकें आयोजित करना आवश्यक है। बोर्ड वित्तमंत्री के साथ संघीय बजट पर चर्चा कर सके इसलिए मार्च की बैठक प्रतिवर्ष सामान्यतः नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा पारित करने में सुविधा की दृष्टि से अगस्त की बैठक सामान्यतः मुंबई में आयोजित की जाती है। व्यवहारिक सुविधा के कारण बोर्ड ने धारा 58 (2)(i) के अधीन सांविधिक नियमों द्वारा अपने कुछ उत्तरदायित्व केंद्रीय बोर्ड समिति, जिसमें गवर्नर, उप गवर्नर एवं जिस क्षेत्र में बैठक आयोजित की जाती है उसके स्थानीय बोर्ड के निदेशक शामिल हैं, को सौप दिए हैं। केंद्रीय बोर्ड समिति के अलावा दो अन्य समितियां, यथा - वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड तथा भुगतान एवं निपटान प्रणाली बोर्ड - अपने कार्य क्षेत्र के नियंत्रण में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करती हैं। संबंधित मामलों में बोर्ड की सहायता करने हेतु तीन उप-समितियां भी बनाई गई हैं यथा - I) निरीक्षण एवं , लेखा परीक्षण उप समिति, ii) स्टाफ उप समिति एवं iii) भवन उप समिति

सभी प्रकार के दृष्टिकोणों का लाभ उठाने के लिए बैंक के फैसले प्रायः सर्वसम्मति से किए जाते हैं। वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र की बैठकों, जिसमें गवर्नर, उप गवर्नर, कार्यकारी निदेशक एवं बारी-बारी से चुने गए मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय निदेशक भाग लेते हैं, में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श एवं निर्णय किए जाते हैं (वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र की बैठक की कोई निश्चित अवधि नहीं है)। उप गवर्नरों की समिति साप्ताहिक अंतराल पर बैठक करती है तथा उसको सौंपे गए मामलों का निपटान करती है। समुचित अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयों, शाखाओं एवं केंद्रीय कार्यालय के विभागों की निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्यपालक निदेशकों की एक समिति में चर्चा की जाती है। व्यय नियम - 2005 के अधीन वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कार्यपालक निदेशकों की समिति द्वारा किया जाता है। विशिष्ट तकनीकी मामलों के निपटान के लिए चुने हुए मुख्य महाप्रबंधकों की समितियां बनाई गई हैं। प्रमुख नीतिगत फैसले केंद्रीय बोर्ड, बोर्ड समिति, गवर्नर या उपगवर्नर के स्तर पर लिए जाते हैं। अन्य मामलों में निर्णयाधिकार कार्यपालक निदेशक या केंद्रीय कार्यालय विभागों के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों में निहित है। महत्वपूर्ण मामलों के विचार विमर्श एवं निर्णयों के लिए वार्षिक क्षेत्रीय निदेशक सम्मेलन एक अन्य मंच है।

बैंक के रोजमर्रा के प्रशासन एवं कार्यों में, मामले या कार्य की प्रकृति / महत्व को देखते विभागाध्यक्ष (प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक / मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक) से लेकर कनिष्ठतम अधिकारी यानी सहायक प्रबंधक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। कुछ कार्य क्षेत्रों जैसे बिलों का भुगतान आदि में संबंधित परिपत्रों, अनुदेश पुस्तकों, नियम पुस्तकों आदि में शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। निर्णय प्रक्रिया में देरी को कम करने तथा निर्णय स्तरों की संख्या में कमी करने के लिए यथा संभव लेवल अंतरण (लेवल जंपिंग) को लागू किया गया है।

कम उम्र कार्मिकों का पर्याप्त समूह बनाया जाएगा तथा स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था की जाएगी। वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए 1942 से 1949 तक सघन प्रशिक्षण अभियान चलाया गया। इसी बीच भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ (सहायक) नियम, 1944 बनाए गए तथा बाद में सहायक वर्ग से अधिकारियों के चयन हेतु उनका स्टाफ विनियमों में समावेश किया गया। चयन का काम, उप गवर्नरों की सलाह से, गवर्नर करता था जिसको केंद्रीय बोर्ड की समिति की स्वीकृति की आवश्यकता थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बढ़ते हुए कार्य भार का निपटान के लिए श्रेष्ठ शैक्षिक योग्यता धारक स्टाफ को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई। सन 1946 एवं 1948 में यह नीति ज्यादा स्टाफ सदस्यों पर लागू की गई।

9.57 ग्रामीण ऋण को प्रोत्साहित करने में कृषि ऋण विभाग एक महत्वपूर्ण नीतिगत माध्यम था। भर्ती नीति में भी इसके महत्व का असर दिखाई देता था। बैंक ने कृषि महाविद्यालयों से ग्रामीण ऋण अधिकारियों की भर्ती के लिए अलग नीति अपनाई एवं कुछ को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजित किया। दूसरी ओर योजना-बद्ध विकास की राह पर अग्रसर अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक वित्त विभाग स्थापित किया। इसके कारण विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति एवं चुनौतियों के समाधान के लिए बैंक कार्मिक संख्या के भारी विस्तार की आवश्यकता हुई।

9.58 सन् 1947 में केंद्रीय भर्ती बोर्ड की स्थापना के बाद सुनियोजित एवं केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई। वेतनमानों का व्यापक संशोधन

किया गया तथा सन् 1948 में अपनाए गए वर्गीकरण के फलस्वरूप स्टाफ को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया - यथा श्रेणी एक (अधिकारी संवर्ग) श्रेणी दो जिसमें सहायक, अधीक्षक, उप एवं सहायक कोषपाल आदि शामिल थे, श्रेणी तीन जिसमें क्लर्क एवं नकदी विभाग का स्टाफ सम्मिलित था तथा श्रेणी चार-अधीनस्थ स्टाफ। भर्ती नीति का एक उल्लेखनीय पहलू अल्पसंख्याकों को प्रतिनिधित्व देना भी था। विभाजन के बाद आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों, शरणार्थियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा इम्पीरियल बैंक के बर्खास्त कर्मचारियों को भी बैंक के आश्रय में लेने का प्रयास किया गया।

9.59 अनुसंधान की बढ़ती हुई विशेषज्ञता के कारण इसका प्रबंध एक सक्षम अर्थशास्त्री को सौंपा गया तथा इसके लिए सन् 1941 में अनुसंधान निदेशक के पद का सृजन किया गया। सन् 1945 में स्वतंत्र अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग की स्थापना के बाद प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं सांख्यिकी विदों का एक दल गठित करने के लिए विशेष अधिकारियों के नियोजन की जरूरत पड़ी। विभागाध्यक्ष लगातार प्रांतीय सरकारों के साथ संपर्क रखता था। वर्ष 1941 के मध्य में पंजाब सरकार के तत्कालीन आर्थिक सलाहकार डा. बी. के. मदान को प्रथम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आर्थिक सलाहकार एवं कार्यकारी निदेशक के पदों पर काम करने के बाद सन् 1964 में डा. मदान बैंक के उप गवर्नर बने। मुद्रा एवं केंद्रीय बैंकिंग सहित आर्थिक मामलों में बैंक को सलाह देने के अलावा अर्थिक आसूचना के संग्रहण एवं समन्वय संबंधी वर्तमान तंत्र में सुधार सुझाने के लिए सन् 1943 में भारत सरकार के आर्थिक उप सलाहकार श्री एस.वी. जोशी की सेवाएं उधार ली गईं और उन्हें वरिष्ठ अर्थशास्त्री के पद पर नियुक्त किया गया। एक दशक से अधिक समय तक बैंक की सेवा करने के बाद जनवरी 1955 में श्री जोशी, कार्यपालक निदेशक के रूप में निवृत्त हुए (भा.रि.बैंक, 1970)

9.60 युद्धोत्तर काल की आर्थिक परिस्थितियों में बैंकों के निरीक्षण, नीति निर्माण में विश्लेषण तथा अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण - की आवश्यकता से ज्यादा विविध प्रकार की क्षमताओं की जरूरत पड़ी। किसी भी समय बैंकिंग कंपनियों के निरीक्षण की शक्ति रिज़र्व बैंक को दी गई शक्तियों में सबसे प्रभावकारी पर्यवेक्षण अधिकार था। बैंकों के निरीक्षणार्थ एक सक्षम तंत्र के विकास के विकट कार्य को पूरा करने के लिए सुदृढ़ रणनीति के विकास की आवश्यकता हुई तथा परिणामस्वरूप सन् 1945 में बैंकिंग परिचालन विभाग का सृजन हुआ। बैंकिंग परिचालन विभाग के स्टाफ में समय-समय पर वृद्धि की गई। बाहर से, विशेष कर बैंकिंग में व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों की, भर्ती के लिए भी प्रबंध किए गए।

9.61 जनवरी 1, 1949 को भारतीय रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीकरण के बाद स्वामित्व के स्थानांतरण एवं तदुपरान्त बैंक के केंद्रीय एवं स्थानीय निदेशक मंडलों के पुनर्गठन के हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए। केंद्रीय एवं स्थानीय निदेशक मंडलों (चार) का पुनर्गठन किया गया। नये बोर्डों के गठन के समय सरकार ने गवर्नर से अनौपचारिक सलाह मांगी एवं कम से कम परिवर्तन किए गए।

9.62 स्वतंत्रता के बाद आने वाले चुनौतीपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए विशेषज्ञ कर्मियों की नियुक्ति हेतु एक सावधानी पूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई। कुछ बड़े एवं सुस्थापित वाणिज्यिक बैंकों के योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त एवं प्रशिक्षित किया गया। विशेष कौशल की जरूरत के मद्देनजर न केवल रिज़र्व बैंक, बल्कि, संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में क्षमता निर्माण की चुनौती पेश आई। इन प्रयासों के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ बैंकरों के कौशलवर्द्धन के लिए रामनाथ समिति ने बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की। अतः एव कोलंबो योजना की सहायता से वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक कर्मियों के प्रशिक्षणार्थ सन् 1954 में मुंबई में उपरोक्त महाविद्यालय की स्थापना की गई। रिज़र्व बैंक के मध्यक्रम एवं कनिष्ठ अधिकारी संवर्गों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगस्त 1963 में रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय की स्थापना हुई। कृषि ऋण संबंधी कार्यों के प्रभावी निपटान में सक्षम स्टाफ उपलब्ध करवाने हेतु पहले पहल सहकारी बैंकों तथा बाद में वाणिज्यिक बैंकों के लाभार्थ सन् 1969 में पुणे में कृषि बैंकिंग महाविद्यालय की स्थापना की गई। प्राथमिक तौर पर वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के स्टाफ के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रिज़र्व बैंक अधिकारियों को शामिल करने के अलावा ये दोनों महाविद्यालय रिज़र्व बैंक अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम भी संचालित करते थे। बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्रीय बिंदु बने इस दृष्टि से सन् 1969 में पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई। समय के साथ प्राथमिक रूप से बैंक के गैर कार्यकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मुंबई, कोलकता, नई दिल्ली एवं चेन्नई में आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। आर्थिक वृद्धि से संबंधित राष्ट्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए

बैंक ने दिसंबर 1987 में मुंबई में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आइ.जी.आइ.डी.आर) स्थापित किया जिसे बाद में सन् 1995 में डीम्ड युनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ।

9.63 बैंक 'रोजगार के समान अवसर' सिद्धांत का पालन करने वाला नियोक्ता है एवं एक उचित एवं न्यायपूर्ण चयन प्रक्रिया की स्थापना के लिए सन् 1968 में रिज़र्व बैंक सेवा बोर्ड स्थापित किया गया। बोर्ड अखिल भारतीय स्तर पर अधिकारियों के चयन के लिए स्थापित स्वनियंत्रित संस्था है जो चयन नीति एवं प्रक्रियाओं के मामलों में रिज़र्व बैंक से दूरी बनाकर कार्य करता है। समय के साथ-साथ बैंक को आंतरिक चयन एवं पदोन्नति प्रक्रियाओं में सहायता करने के लिए बोर्ड में बदलाव किए गए। अनुसंधान एवं सांख्यिकी विभाग के विस्तार के बाद अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं साक्षात्कार द्वारा विशिष्ट अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया आरंभ की गई।

9.64 वर्तमान में, सक्षमता में वृद्धि के लिए सहायक परिवेश के निर्माण एवं कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत तौर पर संतोषप्रद परिस्थितियों के निर्माण के लिए मानव संसाधन विकास विभाग सक्रिय प्रयास कर रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी स्थापना के थोड़े ही समय में विभाग निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयास किए हैं - (क) कार्यनिष्पादन मूल्यांकन एवं प्रबंध प्रणाली, (ख) - पदोन्नति नीति (ग) कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते (घ) स्थानानतरण एवं नियोजन नीति (ङ) क्षमता विकास (च) मानव संसाधन सूचना प्रबंध प्रणाली (छ) अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुकित/प्रतिनियुक्ति (ज) स्टाफ सुझाव योजना (झ) सलाह देना (ञ) संगठनात्मक माहौल का सर्वे (त) प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों का समर प्लेसमेंट आदि। संगठन के आकार को घटाने के लिए अगस्त 2003 में स्वैच्छिक समयपूर्व सेवानिवृत्ति योजना (ओ.इ. आर.एस.) कार्यान्वित की गई। इससे संबंधित आवेदन पत्रों की स्वीकृति या अस्वीकृति का अधिकार सुरक्षित रखते हुए सभी संवर्गों के कर्मचारियों[3] को इस योजना का लाभ उठाने के योग्य माना गया।

9.65 इन प्रयासों के फलस्वरूप न सिर्फ जटिल प्रक्रियाओं में कमी आई, बल्कि लेनदेन खर्चे भी घटे। इसके अतिरिक्त विभाग की नीतियों से संगठन, संस्कृति एवं कार्य पर्यावरण को पुनर्जीवन मिला। बदले में इसके कारण प्रक्रियाओं और व्यवहारों की व्यष्टिगत निगरानी से ध्यान हटाकर, प्रभावी अनुपालनीय एवं समझने योग्य प्रक्रियाओं के निर्माण की क्षमता विकसित एवं निरंतर स्वनियंत्रित योजनाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

VI. रणनीतिगत आयोजना

9.66 उपनिवेश काल से स्वतंत्रता के संक्रमण काल में अर्थव्यवस्था के विकास के साथ इसको दिए गए उत्तरदायित्वों की अनुक्रिया में बैंक के कार्यों एवं संरचना में बदलाव आए हैं। इसके अतिरिक्त सजग रणनीति आयोजना के परे भी परिवर्तनशील आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक माहौल की वजह से इसकी जबाबदारी में निरंत परिष्कार हुआ है। परंतु हाल के वर्षों में रणनीतिगत आयोजना ने लगातार केंद्रीय बैंकरों का ध्यान आकर्षित किया है। इन विषयों पर और प्रकाश डालने तथा समुचित रणनीतिगत आयोजना प्रतिमान का चयन करने में बैंक आफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने बैंक की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

9.67 नए कार्यभार संभालने तथा नई भूमिका निभाने और संकट पूर्ण स्थितियों का सामना करने में तत्पर रहने के लिए केंद्रीय बैंकों को अपना सतत रूपांतरण करना पड़ता है। वित्तीय बाजारों का तेज घटनाक्रम उन्हें निष्क्रिय रहने का अवसर नहीं देता। इसके अतिरिक्त गवर्नर, बोर्ड एवं प्रबंधकों से मिलकर बने प्रशासन तंत्र को लगातार अपने नीति लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी पड़ती है। चुनौतीपूर्ण परिवेश में सफलता के लिए प्रबंध कौशल का लगातार विकास आवश्यक है।

9.68 इन परिस्थितियों में सांविधिक आदेश की स्पष्टता; सुदृढ़ आन्तरिक प्रक्रियाओं; प्राधिकारी की स्पष्ट स्थापना तथा केंद्रीय बैंक के लक्ष्यों एवं रणनीतिगत योजनाओं की उसकी जिम्मेदारियों के साथ तालमेल, कुमेल होने की महत्ता बढ़ जाती है। इसके लिए गवर्नरों एवं केंद्रीय बैंक बोर्ड को एक निश्चित सोच तथा उसे व्यवहार में लाने के लिए सुदृढ़ एवं गतिशील सांगठनिक ढाँचे की आवश्यकता पड़ती है। रणनीतिगत आयोजना के सांविधिक उपकरण आर्थिक पृष्ठभूमि से मेल खाती हुई संगठन संरचनाओं, संस्कृति, सूचना प्रेषण संबंधों, कैरियर पथ तथा कार्य विषयों को सुसज्जित करते हैं।

9.69 सांविधिक प्रावधानों द्वारा सृजित एवं शक्ति संपन्न केंद्रीय बैंक पहले अपने अस्तित्व एवं सफलता के लिए रणनीति निर्माण को आवश्यक नहीं समझते थे। विश्व आर्थिक परिवेश में आए बदलाव तथा वित्तीय प्रणालियों की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण केंद्रीय बैंक रणनीतिगत आयोजना को एक महत्वपूर्ण प्रबंध उपकरण के रूप में अपनाने को बाध्य हुए हैं। इसके अलावा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं

[3] अगस्त 1, 2003 को 25 वर्ष पूर्णकालिक नियमित सेवा तथा पचास वर्ष की आयु पूरा करने वाले कर्मचारी इसके योग्य थे। योजना 31 दिसंबर 2003 को बंद की गई, अधिकारी एवं गैर कार्यकारी वर्गों के कुल 4,468 कर्मचारियों ने स्वेच्छा सेवानिवृत्ति का लाभ लिया।

में उनसे जो अपेक्षाएं की जाती हैं उनके कारण केंद्रीय बैंकों के लिए रणनीति आयोजना का महत्व बढ़ा है (बी. आइ.एस. 2004)।

9.70 विविध प्रकार के श्रोता समूहों, जिनके साथ केंद्रीय बैंकों को संप्रेषण करना पड़ता है, की उपस्थिति में संप्रेषण के उद्देश्य एवं दिशा की स्पष्टता रणनीति आयोजना का महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रीय बैंकों का उनकी सार्वजनिक छवि के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है तथा निकट भूतकाल में केंद्रीय बैंक लगातार पारदर्शी बनते गए हैं। इस विषय में आर्थिक स्थिति एवं मौद्रिक नीति पर उसके प्रभाव के बारे में केंद्रीय बैंकों के दृष्टिकोण के संप्रेषण के लिए बैंकों द्वारा किए प्रयास एक महत्वपूर्ण घटना है। ब्याज दर परिवर्तन का आर्थिक औचित्य, संसदीय सुनवाई एवं मुद्रानीति रिपोर्ट मुद्रानीति संप्रेषण के मुख्य माध्यम हैं। अपनी असाधारणता के कारण कभी-कभी होने वाली घटनाएं जैसे अनपेक्षित ब्याज दर परिवर्तन बाजार पर बहुत प्रभाव डालती हैं। परंतु ज्यादा प्रयोग में आने वाले साधन केंद्रीय बैंकों को सूचना के क्रमिक संप्रेषण में समर्थ बनाते हैं, जैसे इनसे उनको मौद्रिक नीति की वर्तमान एवं प्रत्याशित परिस्थितियों का ज्ञान होता है, (कोनोली एण्ड कोहलेर, 2004)।

9.71 रणनीतिगत आयोजन से बैंक अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं कार्य योजनाओं का अपने प्राथमिक कार्यों के साथ सुमेल सुनिश्चित कर सकता है। निगमित क्षेत्र की तरह केंद्रीय बैंकों का भी अपना मिशन होता है यथा मूल्य स्थायित्व सुनिश्चित करके समष्टि अर्थव्यवस्था के विकास का दीर्घकालिक लक्ष्य एवं एतद्द्वारा वित्तीय स्थायित्व की रक्षा इस परिदृश्य में रणनीतिगत आयोजना बैंक को अपने सभी संसाधन एकत्र करके प्रभावकारी तरीके से वांछित लक्ष्यों की पूर्ति में सक्षम बनाती है। परंतु रणनीति योजना का सफल क्रियान्वयन अनेक कारकों जैसे केंद्रीय बैंक को नियंत्रित करने वाला सांविधिक ढांचा, इसकी स्वतंत्रता, इसकी जवाबसेही एवं पारदर्शिता की सीमा पर निर्भर करता है।

9.72 सन् 1997 के दक्षिण-पूर्व एशियाई आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने अपने केंद्रीय बैंकों का नियंत्रण करने वाले कानूनों में बदलाव किए। सांविधिक स्वतंत्रता से केंद्रीय बैंक की जोखिम धारकों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे अपना कार्य निष्ठापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। परंतु इसके लिए व्यापक आधार पर यह समझने की आवश्यकता है कि विभागीय लक्ष्य रणनीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप हों। इस सारी प्रक्रिया में वरिष्ठ प्रबंध का समर्थन आवश्यक है। केंद्रीय बैंकों के कार्यक्रमों में परिवर्तन लाने के जिम्मेदार कारकों में पारदर्शिता के लिए राजनैतिक दबाव से मुक्तता एवं स्पष्ट और मापनीय परिणाम शामिल हैं। संस्थागत बदलावों, जो प्राय: त्रासदायी होते हैं, से कुछ केंद्रीय बैंकिंग कार्यों में परिवर्तन आता है तथा वे वरिष्ठ प्रबंध से अधिक अंशों में अनुकूलन शीलता एवं नम्यता की मांग करते हैं। हाल के वर्षों में कई केंद्रीय बैंकों ने इन उठापटकों से निपटने की आश्चर्यजनक क्षमता का प्रदर्शन किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में रणनीतिपूरक आयोजना

9.73 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 उत्तमता, पारदर्शिता एवं परिचालन में पारदर्शिता के प्रति निष्ठा को रेखांकित करता है। अधिनियम के प्रावधान एक सुदृढ़ विनियमन के ढांचे एवं बाजार माध्यमों के प्रभावी कार्य-निष्पादन की हिमायत करते हैं। बैंक की कार्यकारी भूमिकाओं का मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र के विकास, वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने, विनियमन एवं पर्यवेक्षण, मुद्रा निर्गम तथा सरकार एवं बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करने आदि के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। 1980 के बाद के दशक के मध्य तक रिज़र्व बैंक ने रणनीतिपरक आयोजना को नहीं अपनाया था, परंतु रणनीतिपरक आयोजना के बिना भी बैंक समय-समय पर अद्वितीय नमनीयता के साथ संगठन का पुनर्गठन करने में सक्षम रहा।

9.74 हालांकि बैंक ने अपनी संगठन संरचना को युक्तियुक्त बनाने के लिए सन् 1982 में कुछ प्रयास किए थे तथापि सन् 1992 में एक बाह्य एजेंसी की सहायता से एक व्यापक रणनीतिपरक आयोजना निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया। इसका उद्देश्य अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित करना तथा आंतरिक संगठनात्मक एवं प्रबंध क्षमताओं की समीक्षा करना था। बाह्य रूप से इस अभ्यास का उद्देश्य उदारीकृत बाह्य पर्यावरण में बदलती हुई प्रत्याशाओं से उभरती चुनौतियों का समाधान करना एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बैंक को पुर्नस्थापित करना था। समग्र रणनीति योजना में सहायता के लिए विभागीय स्थिति पत्र एवं विशिष्ट विषयों यथा प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, पर्यावरणीय प्रवृत्तियों पर स्थिति पत्र तैयार किए गए। अंतिम योजना में चार अनुभाग थे - यथा - संस्था का मिशन, लक्ष्य एवं नीति पर वक्तव्य; संगठनात्मक मजबूती एवं कमजोरियों की समीक्षा; बैंकिंग कार्यों की सहगामी रणनैतिक क्रियाएं; और कार्यान्वयन रणनीति।

9.75 सलाहकार एजेंसी की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से बैंक की संगठन संरचना में दूरगामी परिवर्तन हुए (परिशिष्ट 9.2)। इन परिवर्तनों में

सारणी 9.1: रणनीतिगत आयोजना प्रक्रिया के चुने हुए लक्षण

निम्नलिखित/ केंद्रीय बैंक/मौद्रिक प्राधिकारी	आयोजना प्रक्रिया की अनुमानित बारंबारता[4]	आयोजना प्रक्रिया की समयावधि	प्राथमिक समय अवधि[5]	रणनीतिगत आयोजना प्रक्रिया शुरूआत में मुख्य योगदान रहता है उस संस्था का नाम
आस्ट्रियाः				
प्रमुख रणनीति प्रक्रिया	प्रति तीन वर्ष में	1 वर्ष	4 वर्ष	कार्यपालक मंडल
गौण रणनीति प्रक्रिया	वार्षिक	3 मास	1 वर्ष	आयोजना एवं नियंत्रण प्रभाग
ब्राजील			परिकल्पना - 5 वर्ष स्थूल-उद्देश्य - 2 वर्ष	
कनाडा	प्रत्येक तृतीय वर्ष में		3 वर्ष	परिवेशगत छानबीन, बोर्ड निदेशक
चिली	वार्षिक		2 वर्ष	मंडल
फिनलैंड	वार्षिक	1 वर्ष	4 वर्ष	कार्यपालक मंडल
हांगकांग एसएआर	वार्षिक	2-3 मास	3 वर्ष	विभाग
जापान	वार्षिक	5-6 मास	1 वर्ष	कार्यकारी स्तर पर विशेष समिति
न्यूजीलैण्ड	वार्षिक	3 मास	स्थूल प्रवृत्तियां / पर्यावरणीय मुद्दे - 5-10 वर्ष रणनैतिक लक्ष्य : 5 वर्ष प्राथमिक लक्ष्य : 1 वर्ष	बाह्य विशेषज्ञों के नेतृत्व में आयोजना पूर्व सम्मेलन
पोलैंड	वार्षिक	3 मास	3 वर्ष	प्रबंध बोर्ड
सिंगापुर	वार्षिक	4 मास	1 वर्ष	परिवेशगत छानबीन एवं समीक्षा
स्वीडन	वार्षिक	कुछ मास	1 वर्ष	कार्यपालक मंडल
थाईलैण्ड	वार्षिक	पांच मास	1 वर्ष	शीर्ष प्रबंध समिति
युनाइटेड किंगडम	वार्षिक		1 वर्ष[6]	कार्यकारी दल एवं वरिष्ठ प्रबंध का अवे दिवस
युनाइटेड स्टेटस (बोर्ड आफ गवर्नर्स)	प्रति दो वर्ष में		4 वर्ष	बोर्ड के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी
परिशिष्ट : बी आइएस	वार्षिक	*चार मास*	*स्थूल प्रवृत्तियां / रणनीतिगत लक्ष्य : 3-5 वर्ष प्राथमिक लक्ष्य - 1 वर्ष*	*कार्यपालक समिति*

[4] इसे स्थूल संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाए। कुछ संस्थाओं ने निश्चित अवधि को अंगीकार नहीं किया है तथा औरों में रणनीतिगत आयोजना प्रयास का परिणाम प्रति वर्ष बदलता रहता है।

[5] विशेषकर इसका मतलब योजना के नाम में वर्णित समयावधि होती है। वार्षिक योजनाओं में प्राय मध्यावधि मुद्दे शामिल किए जाते हैं।

[6] बैंक आफ इंग्लैण्ड में वर्तमान रणनीतिगत आयोजना प्रक्रिया समीक्षाधीन है तथा एक-वर्ष आगे केंद्रबिंदु दृष्टिकोण को त्याग कर बैंक की मध्यावधि 3 से 5 वर्ष रणनीति विकसित करने की इच्छा है।

स्रोत : सीकेन एस्को सम्मेलन, कोलंबो श्रीलंका (जनवरी 2004) में बी आई एस की प्रस्तुति

प्रबंध सेवा विभाग को समाप्त कर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं मानव संसाधन विकास विभाग का सृजन एवं सचिव विभाग का पुनर्गठन करके आंतरिक ऋण प्रबंध कक्ष, जिसे बाद स्वतंत्र आंतरिक ऋण विभाग बनाया गया, की स्थापना शामिल है।

9.76 इसके अलावा, समग्र दक्षता में सुधार हेतु प्रबंधन ने समय-समय पर कई गुणात्मक उपाय किए। कई पहले की गईं जैसे स्वच्छ नोट नीति का क्रियान्वयन; सेंट्रल डाटा बेस प्रबंध प्रणाली की रूपरेखा का निर्माण कारोबार प्रक्रिया सुधार के लिए समेकित स्थापना प्रणाली का विकास; वित्तीय बाजार समिति का गठन (दैनिक बैठक); विनियामक अंर्तव्यवहार दल (पाक्षिक बैठक); निकट भूतकाल में पारदर्शिता के प्रति निष्ठा में वृद्धि के लिए सूचना अधिकार अधिनियम (अक्तूबर 2005) का पालन। सुधारोत्तर काल में महत्वपूर्ण गुणात्मक एवं

मात्रात्मक निष्पादन संकेतक क्रमशः परिशिष्ट 9.3 एवं परिशिष्ट 9.4 में प्रस्तुत हैं।

9.77 परामर्श अभ्यास से शुरू अपनी कार्य योजना को पुनर्परिभाषित करते हुए एक नई रणनीतिगत कार्य योजना (एस.ए.पी.) बनाई गई जो अगले तीन से पांच वर्षों के दौरान बैंक परिचालनों एवं सहायक सेवाओं को निदेशित करने हेतु रणनीतिपरक दिशा एवं समन्वित ढांचा उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है। इस योजना पर आजकल बैंक सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। परामर्श पत्र (2005)[7] रणनीतिपरक कार्य योजना (एस.ए.पी.) का मध्यावधि दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है ताकि आवश्यक समायोजन किया जा सके। रणनीतिपरक कार्ययोजना का उद्देश्य प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप करना एवं भारत की नव अर्जित छवि को सुदृढ़ करने के लिए परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य में केंद्रीय बैंक की अनुक्रिया परिभाषित करना है।

मिशन एवं विज़न

9.78 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत बैंक को दिए आदेश से उद्धरण लेकर बनाए गए मिशन वक्तव्य का पाठ नीचे वर्णित है - 'वित्तीय एवं भुगतान प्रणालियों की ईमानदारी, दक्षता एवं स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए रोजगार लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक उत्पादकता जनित आर्थिक वृद्धि सहित मूल्य स्थायित्व को प्रोत्साहित करना'। मिशन वक्तव्य के आधार-भूत मूल्यों में भारतीय संसद भारत सरकार एवं जनसामान्य के प्रति जवाबदेही में परिलक्षित जनहित; ईमानदारी (परिचालन एवं व्यवहार में पेशेवर मूल्यों एवं मानकों के पालन का समर्थन करती); उत्तमता (परिचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के अतिरिक्त उत्प्रेरणा, विशेषज्ञता एवं पेशेवरता को प्रोत्साहन देने के लिए); दृष्टिकोण की स्वतंत्रता (स्वतंत्र पेशेवर निर्णय को महत्व देना एवं विचार विमर्श द्वारा नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना); और अंततः संवेदनशीलता एवं गत्यात्मकता (बदलती हुई मांगों के प्रति अनुकूलन शीलता एवं बदलाव को उत्प्रेरण) गंतव्य पर पहुंचने के लिए मिशन वक्तव्य घोषणा करता है कि बैंक विश्वसनीय, पारदर्शी, जागरूक एवं समसामयिक नीतियों का पालन करके अग्रणी केंद्रीय बैंक बनने की आकांक्षा रखता है तथा देशवासियों को उत्तम जीवन स्तर प्राप्त करने में सहायक विश्वस्तरीय वित्तीय प्रणाली के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाना चाहता है।

9.79 मिशन वक्तव्य एवं संगठन मूल्य दीर्घकालिक सिद्धान्त है, जबकि बैंक को प्रभावित करने वाले बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों की अनुक्रिया में भविष्य का दृष्टिकोण, रणनैतिक लक्ष्य एवं मार्गदर्शक सिद्धान्तों की, नियमित समीक्षा की जाती है। ऐसे परिवर्तनों से भविष्यकामी दृष्टिकोण में परिवर्तन एवं वैश्विक विकास के साथ कदम मिला कर चलने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता को बल मिलता है। रणनीतिगत आयोजना को अपनाने से अब तक सुसुप्त संगठित निर्णय प्रक्रिया से संबधित मुद्दे केंद्र बिंदु पर आ गए हैं।

दृष्टिकोण

9.80 बैंक के लिए तैयार की गई (रणनीतिगत कार्ययोजना) में उर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी दोनों दृष्टिकोणों का लाभ लेने के लिए दोनों का मिश्रण किया गया है। इनमें संगठन लक्ष्यों के नजरिए से बाह्य पर्यावरण में आने वाले परिवर्तनों के पूर्वानुमान का पुनर्उल्लेख; शक्तियों एवं दुर्बलताओं की पुनर्समीक्षा (क्षमताओं का मूल्यांकन); जनहित की सर्वोत्तम उपलब्धि के लिए परिचालन दक्षता में वृद्धि हेतु अनावश्यक कार्यों का त्याग करना शामिल है। इन प्रयासों के परिणाम प्रत्यक्ष फोकस, श्रेष्ठतर प्रवीणता, लक्ष्यों की सांझी सोच, संसाधनों का समुचित प्रयोग एवं लक्ष्य प्राप्ति में गतिसंचय के रूप में परिलक्षित होंगे।

रणनीतिगत लक्ष्य

9.81 रणनीतिगत कार्य योजना रिज़र्व बैंक को एक बहमुखी संस्था मानती है एवं समुचित आधारभूत संरचना और मानवसंसाधन की आवश्यकता पर बल देती है। केंद्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों पर आधारित जटिल एवं विस्तृत संगठन संरचना इस मान्यता को बल प्रदान करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तृत आंकड़ों की उपलब्धता (प्रकाशनों एवं वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित); पेशेवर प्रशिक्षण संस्थाएं; सक्षम मानवशक्ति; पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धता इसमें अनुपूरक की भूमिका निभाते हैं।

9.82 रिजर्व बैंक के रणनीतिगत लक्ष्यों में अन्य बाहों के अतिरिक्त, मौद्रिक स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व, भुगतान एवं निपटान प्रणालियों की दक्षता, विश्वसनीय मुद्रा प्रबंध, कुशल सार्वजनिक ऋण प्रबंध तथा आर्थिक नीतियों के बारे में भारत सरकार के सलाहकार की भूमिका आदि शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा न्याय पूर्ण एवं संतुलित वृद्धि में सहायक परिस्थितियां उत्पन्न करने में उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वाह;

[7] रणनीतिगत कार्य योजना - एक परामर्श पत्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन विकास विभाग, 2005।

बैंक की निवेश आस्तियों का प्रबंध; जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा; तथा विनियामक अंतरपणन की रोकथाम के लिए अन्य विनियामकों जैसे बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकारी (इर्डा) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ मिलकर समन्वित नियामक व्यवस्था सुनिश्चित करना भी बैंक के प्रमुख लक्ष्य हैं।

रणनीतिगत आयोजना की संरचना एवं उसका क्रियान्वयन :

9.83 परिवर्तनशील वैश्विक पर्यावरण में बैंक को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण करने, आंतरिक क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण तथा परिचालन में आनेवाली क्षमता आवश्यकताओं की भर्ती, पार्श्विक प्रवेश, सघन प्रशिक्षण एवं संशोधित नियोजन नीतियों द्वारा पूर्ति करके इसके मूल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। रिज़र्व बैंक के सामर्थ्यों के साथ-साथ उसकी संरचनात्मक अनमनीयताएं, धीमी निर्णय-प्रक्रिया, उत्तरदायित्व का अभाव, बाजार-सम्मत पारिश्रमिक, अपर्याप्त आंतरिक संप्रेषण तंत्र, मानव संसाधन की उपेक्षा, इष्टतमेतर नियोजन, अपर्याप्त प्रौद्योगिकी अवशोषण, अपर्याप्त ज्ञान प्रबंध तथा अपेक्षाकृत निम्न प्रेरणास्तर आदि अंतर्निहित कमजोरियां भी हैं।

9.84 इन चिंताओं का व्यवहारिक निवारण करने में सक्षम बनने के लिए मूल सिद्धान्तों के अनुरूप हित टकराव का समाधान कर मूल केंद्रीय बैंक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा परिचालन में सक्षमता मानदंड लागू करने, पदानुक्रम पर जोर घटाने, कार्य प्रक्रियाओं में सुधार एवं निगम-संप्रेषण को प्रोत्साहन देने की अत्यावश्यकता है।

9.85 रिज़र्व बैंक की रणनीतिपरक आयोजना-संरचना वर्तमान क्षमताओं के इष्टतम उपयोग के अनुरूप बाह्य वातावरण के साथ आंतरिक रणनीतियों की अंतर्क्रिया की पूर्वापेक्षा के तौर पर यह सोचा गया कि एक पूर्णत: समर्पित रणनीतिगत आयोजना अनुभाग का सृजन किया जाए। बाह्य विशेषज्ञता के नियोजन के लिए केंद्रीय निदेशक मंडल ही मुख्य मंच रहेगा। आवश्यकता के अनुसार संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ भी विचार विमर्श किया जा सकता है। समय के साथ-साथ रणनीतिगत काय-योजना में आवश्यक तालमेल करने के लिए मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा से देश के आर्थिक पर्यावरण, विश्व अर्थव्यवस्था, उभरती हुई मंडियों की परिस्थितियों एवं सरकारी नीतियों के बारे में सूचना मिलती रहेगी।

VII. निष्कर्ष

9.86 केंद्रीय बैंकों की संरचना एवं विकास का कोई सार्वभौमिक प्रतिमान नहीं है। अधिकांश देशों में समसामयिक आर्थिक, राजनैतिक एवं वित्तीय परिस्थितियों की अनुक्रिया में केंद्रीय बैंकों की संरचना का विकास हुआ। अपने घटना पूर्ण अस्तित्व में बैंक का सफलता पूर्वक रूपांतरण हुआ है। रणनीतिपरक कार्य योजना के लागू होने से, जो आजकल विचारधीन है, परिवर्तनशील परिस्थितियों में अनमनीयता से उत्पन्न खतरों में वृद्धि एवं प्रश्नों का जन्म होता है। परंतु इस प्रक्रिया में बैंक द्वारा अब तक अपनाई गई, कार्यनीति, जिसमें अंतर्निहित लचीलापन था तथा जिसने समय की चुनौतियों का सफलता पूर्वक सामना किया, की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। अतः दुविधा यह है कि या तो आयोजना के एक निश्चित प्रतिमान से आबद्ध हुआ जाए या तीव्र गतिवाले आर्थिक बदलावों की पृष्ठभूमि में शीघ्र अनुक्रिया सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनों के साथ तालमेल किया जाए।

परिशिष्ट 9.1 : भारतीय रिज़र्व बैंक का संगठनात्मक विकास

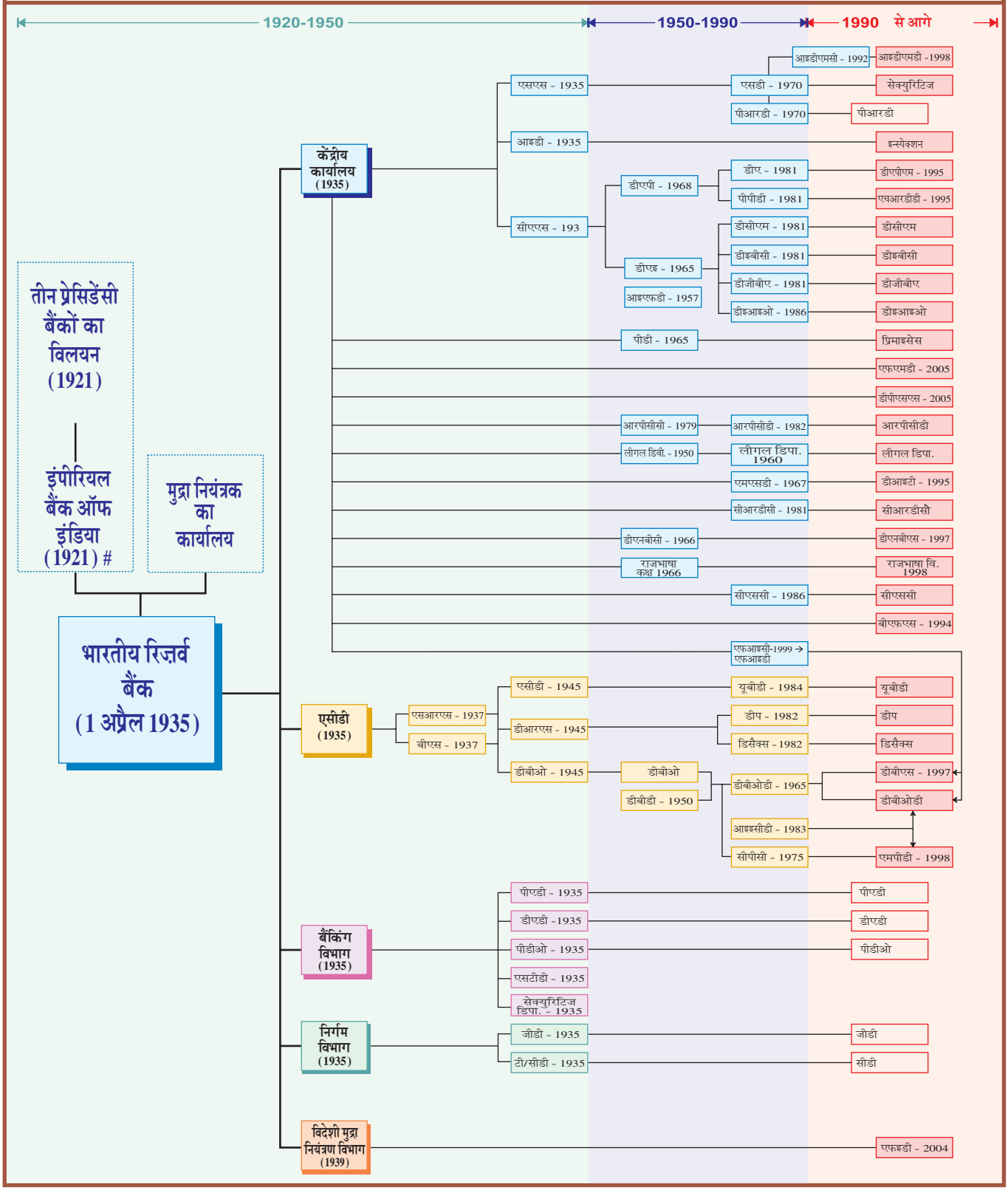

केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य किए और 1955 में इसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया।

विभाग के पूर्ण नामों के लिए संकेताक्षरों की सूची देखें।

परिशिष्ट 9.2

भारतीय रिज़र्व बैंक की रणनीति कार्य योजना (1993-2002) रिपोर्ट के मसौदे का सारांश

I. परिचय :

बैंक की भूमिका पुनर्परिभाषित करने और संगठनात्मक एवं प्रबंध प्रभावकारिता की समीक्षा हेतु 1993-2002 अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के लिए रणनीतिगत योजना निर्माण का कार्य एक परामर्शदात्री एजेंसी (1992) को दिया गया। कार्यकारी योजना को तीन चरणों में विभाजित किया गया : 1993-95; 1995-98; एवं 1998-02

II. मिशन :

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुरूप मिशन वक्तव्य ''रिज़र्व बैंक मूल्य स्थायीत्व सहित भारतीय अर्थव्यवस्था की संतुलित एवं निरंतर वृद्धि में सहायक सुदृढ़ एवं दक्ष वित्तीय प्रणाली विकसित करना चाहता है''। मिशन वक्तव्य : परिचालन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सहित दक्षता, गत्यात्मकता, पेशेवरता, नैतिक मानदंड, उच्च स्तरीय उत्प्रेरण को प्रोत्साहन, कौशल एवं दक्षता, दक्ष बाजार तंत्र का समर्थक सुदृढ़ नियमन तंत्र, परिचालन एवं निर्णय प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का अंगीकार, सभी संबंधों में उन्मुक्तता एवं आदर पर जोर देता है।

III. लक्ष्य

मौद्रिक नीति के लक्ष्य

मुद्रा स्फीति का नियंत्रण एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन; घाटे के वित्त पोषण एवं लोक ऋण प्रबंध पर सरकार को परामर्श देना; भुगतान संतुलन एवं विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध; वित्तीय क्षेत्र का विकास; मुद्रा की गुणवत्ता, डिजाइन एवं उपलब्धता में सुधार सहित भुगतान के गैर मुद्रा माध्यमों को प्रोत्साहन।.

वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियां

प्रणालियों एवं सूचना पहुंच का प्रभावी विवेक-सम्मत पर्यवेक्षण, प्रणालीय जोखिमों के निवारण के लिए बाजार आसूचना एवं संकटकालीन आयोजना तथा बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को विश्वस्तर पर स्पर्धा के लायक बनने में सहायता।

संगठनात्मक गतिविधियाँ

अनुषंगियों एवं उनके प्रबंधन में बैंक की हिस्सेदारी से संबधित नीति का विकास; निर्णय प्रक्रिया में जागरूक दृष्टिकोण अपनाने हेतु रणनीतिगत सूचना प्रणाली का विकास; निर्णय प्रक्रिया को बल देने के लिए आर्थिक अनुसंधान की उच्च गुणवत्ता एवं सामयिकता; बैंक के आंतरिक वित्तीय संसाधनों का दक्ष एवं पेशेवर प्रबंध; सुस्पष्ट छवि निर्माण में इसके महत्व एवं रणनीतिगत भूमिका की देखते हुए जनसंपर्क; पारस्परिक लाभ हेतु श्रेष्ठता को मान्यता देना; गुणवत्ता को प्रोत्साहन एवं प्रत्येक कर्मचारी की समस्त संभावना का दोहन।

IV. संगठनात्मक सामर्थ्यों एवं दुर्बलताओं की समीक्षा

सामर्थ्य

सक्षम अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बड़ा समुच्चय; अर्थव्यवस्था के प्रमुख आँकड़ों की उपलब्धता; 22 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित विस्तृत संगठन नेटवर्क; प्रतिभाकर्षण की क्षमता एवं वित्तीय आत्मनिर्भरता।

दुर्बलताएं

संरचनात्मक अनमनीयता, उत्तरदायित्व का अभाव एवं धीमी निर्णय प्रक्रिया; विशेषज्ञ सूचना में छीजन; दुरूह औद्योगिक संबंध दृष्टिकोण वाली समर्थ कर्मचारी यूनियनें; फालतू स्टाफ; कमजोर बाजार आसूचना

V. रणनीतिगत कार्य

मिशन एवं लक्ष्यों से आहरित रणनीति कार्यों का उद्देश्य कतिपय धारणाओं के आधार पर परिवर्तनशील पर्यावरण का सफल प्रबंधन।

धारणाएं

सरकार की उदारीकरण एवं निजीकरण की नीतियां जारी रहेंगी; सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजकोषीय घाटे को बढ़ने नहीं दिया जाएगा तथा इसमें क्रमिक रूप से कमी लाई जाएगी; चालू खाता में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता एवं दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर प्रयास; वित्तीय बाजार सुधार की निरंतरता; नए भारतीय निजी क्षेत्र भागीदारों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश द्वारा वित्तीय उत्पादों का विविधीकरण एवं वित्तीय क्षेत्र का अमध्यस्थीकरण; मौद्रिक नीति का परिचालन - परोक्ष उपकरणों द्वारा किया जाएगा; एवं ब्याज दरों पर से नियंत्रण हटाया जाएगा।

रणनीतिगत कार्य - चरणों में

रणनीतिगत कार्यों को निम्नलिखित शीर्षों के अधीन तीन चरणों में कार्यान्वित करने हेतु क्रमबद्ध किया गया है : ''मौद्रिक नीति एवं वित्तीय क्षेत्र'' जिसे मुख्य क्षेत्र के रूप में माना गया है। समुचित विधि सहायता हेतु; ''सांविधिक ढांचा'', नए युग में सकारात्मक संबंधों के लिए ''ग्राहक सेवा'' तथा ''संगठनात्मक समर्थन'' पहलुओं, जैसे संरचना, प्रणालियों, मानव संसाधन विकास एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे पहलुओं की देखरेख के लिए संगठनात्मक सहायता।

मौद्रिक नीति - चरण-I

आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग की सहायता लेकर; मौद्रिक नीति निर्माण की पूरी जिम्मेदारी मौद्रिक नीति विभाग की है; आंतरिक ऋण प्रबंध कक्ष (अब आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग) को सरकारी प्रतिभूतियों में मुक्त बाजार परिचालन सहित प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार का विकास करने; नए लिखतों का विकास करने एवं सरकारी प्रतिभूति बाजार में सहभागिता की गुंजाइश में बढ़ोतरी तथा प्रणाली में समग्र चलनिधि (तरलता) सुनिश्चित करते हुए सांविधिक चलनिधि अनुपात में कटौती; दक्षता एवं प्रतियोगिता स्तर में वृद्धि के लिए औसत जमा ब्याज दरो एवं औसत उधार ब्याज दरों में गिरावट के साथ जमा ब्याज दरों एवं उधार ब्याज दर के अंतर में कमी लाना; सभी योग्य आस्तियों को मुक्त बाजार परिचालन के लिए उपलब्ध करवाने के लिए तंत्र; दीर्घावधि मौद्रिक नीति निर्माण एवं चलनिधि पूर्वानुमान कार्य हाथ में लेना एवं लक्षित मुद्रास्फीति दर की सार्वजनिक घोषणा करना; निम्न मूल्य मुद्रा का सिक्काकरण, उच्चतर मूल्य मुद्रा का प्रारंभ एवं इलेक्ट्रॉनिक अंतरण जैसी गैर नकदी मुद्रा को प्रोत्साहन; मुद्रा आपूर्ति विस्तार हेतु मुद्रा संक्रमण क्षेत्रों की स्थापना तथा सक्षम बैंकों को करेंसी चेस्ट परिचालन की अनुमति।

सहायक प्रणालियां

विस्तारित संप्रेषण नेटवर्क एवं समेकित आन लाइन बैंकिंग प्रणाली; डीप (डीइएपी) में मौद्रिक नीति निर्माण में विश्लेषणात्मक सहायता हेतु अलग प्रभाग की स्थापना, विदेशी मुद्रा आंकड़ों के लिए बैंक नेट या निकनेट का प्रयोग ताकि दक्षतापूर्वक पूर्वानुमान एवं विश्लेषण किया जा सके।

मौद्रिकनीति - चरण II

ऋण एवं ज्यादा ब्याज दरों का नियंत्रण समाप्त करना एवं चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता; मौद्रिक नीति उत्तरदायित्व के बारे में संसद के प्रति जवाबदेही; सरकार की ओर से विदेशी मुद्रा प्रवाह के विषय में देनदारी प्रबंध विषय में सरकार से बातचीत।

वित्तीय क्षेत्र - प्रथम चरण

एकल निकाय पर्यवेक्षण एवं वित्तीय प्रणाली के निरीक्षण हेतु पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना; एक अलग वित्तीय प्रणाली विनियमन विभाग के अधीन समग्र वित्तीय प्रणाली के लिए समेकित नीति निर्माण के उद्देश्य से बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, वित्तीय संस्था कक्ष, औद्योगिक एवं निर्यात ऋण विभाग तथा शहरी बैंक विभाग[8] को एक पर्यवेक्षण विभाग के अधीन लाना।

विनियमन एवं पर्यवेक्षण संबंधी नीतियाँ

प्रवेश मापदंडों, पूँजी पर्याप्तता, लाईसेंसिंग, ब्याज दर, चलनिधि (तरलता) आदि के निर्धारण हेतु प्रयास। विवेकसम्मत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही। समुचित पर्यवेक्षण (प्रत्यक्ष या परोक्ष) को परिभाषित करना। समान कार्य क्षेत्र वाले विनियामकों यथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ बेहतर तालमेल बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के विलय के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्माण। राज्य वित्तीय निगमों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वित्तीय संस्थाओं आदि के बोर्डों में रिज़र्व बैंक अधिकारियों के नामन की प्रथा की समाप्ति। बैंकिंग के वाणिज्यिक एवं प्रबंधकीय पक्षों पर नियंत्रण की समाप्ति। नवीन वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं को प्रोत्साहन। लेखा परीक्षा में बाह्य एजेंसियों की सेवा का उपयोग, बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न निकायों की एक समान निरीक्षण पद्धति, निश्चित अवधि में संपूर्ण प्रक्रिया की अपेक्षा विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित नवीन निरीक्षण प्रक्रिया। निरीक्षण शुल्क वसूल करने संबंधी मामले की पुनरीक्षा।

बाजार आसूचना

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं केंद्रीय कार्यालय के परिचालन विभागों में अनुसंधान एवं आसूचना स्कंधों की स्थापना।

समर्थनकारी विधि व्यवस्था

बैंक अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हेतु एक सशक्त मामला बनाकर कार्यवाही हेतु सरकार के समक्ष रखे।

ग्राहक सेवा - चरण I

जनसंपर्क एवं प्रकाशन (आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग) कार्यों को मिलाकर निगम संप्रेषण विभाग; एवं भुगतान एवं प्रणाली विभाग, आंकड़ों के संग्रहण हेतु एकल खिड़की दृष्टिकोण, विदेशी मुद्रा परिचालन संबंधी विवरणी को युक्तिसंगत बनाना तथा स्वचालित नोट कांउटिंग और चेक रीडर / सोर्टर प्रणालियों का अंगीकार करना ।

ग्राहक सेवा - चरण II

बैंकिंग क्षेत्र में उन्नत इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी) प्रणाली की स्थापना; उन्नत प्रणालियों को लागू करने के लिए सांविधिक संरचना स्थापित करना।

संगठनात्मक समर्थन

कार्यनीतिगत कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक समर्थन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए संगठन की पुर्नसंरचना एवं अन्य कार्यों से प्रक्रियाओं, प्रणालियों एवं मानव संसाधन की प्रभावशीलता में सुधार लाना पड़ता है।

[8] क्रमशः बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, वित्तीय संस्था कक्ष, वित्तीय कंपनी विभाग, औद्योगिक एवं निर्यात ऋण विभाग एवं शहरी बैंक विभाग।

संगठनात्मक पुनर्संरचना

कार्यनीतिगत कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक समर्थन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए संगठन की पुर्नसंरचना एवं अन्य कार्यों से प्रक्रियाओं, प्रणालियों एवं मानव संसाधन की प्रभावशीलता में सुधार लाना पड़ता है।

नए विभागों की स्थापना[9] : डीएफएसआर, डीओएस, डीओपीएस एवं डीआइओ; नए विभागों का संगठन : डीएचाआरएम, डीआइटीएस, डीओएफ, डीओपीआर निगम संप्रेषण विभाग; वित्तीय कंपनी विभाग का मुंबई स्थानांतरण; तीन स्तरीय संगठन संरचना की स्थापना; केंद्रीय कार्यालय नीति निर्माण हेतु, आंचलिक कार्यालय नीति निर्माण में सहायक सूचना / सामग्री उपलब्ध करने एवं क्षेत्रीय कार्यालय नीति कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी।

प्रौद्योगिकी

सारी कम्प्यूटर प्रणाली को समेकित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवा विभाग का निर्माण; प्रबंध सेवा विभाग एवं सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर सेवा विभाग के प्रभाग; इन्ट्रा कम्प्यूटर संप्रेषण हेतु लोकल एरिया नेटवर्क / वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना; कार्यालय स्वचालन; दक्ष एवं विश्वसनीय भुगतान प्रणालियां।

मानव संसाधन विकास

प्रशासन विभाग एवं कार्मिक नीति विभाग को मिलाकर मानव संसाधन विकास विभाग की स्थापना करना; कार्य रूपरेखा प्रणाली की स्थापना; जल्दी सेवा निवृत्ति योजना, गोल्डन हैण्डशेक एवं पुनर्नियोजन पर यूनियनों के साथ विचार विमर्श; स्वचालित एवं संगणकीकृत माहौल में प्रशिक्षण एवं नई निपुणता विकास; कार्मिक एवं कौशल संबंधी सूचना के डाटा बेस का निर्माण ।

अनुसंधान सहायता

आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग तथा सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर सेवा विभाग के संबंधित प्रभागों को मिलाकर नीति अनुसंधान विभाग का सृजन । विभिन्न नीति निर्माता विभागों के लिए डाटाबेस बनाने के लिए अनुसंधान एवं आसूचना स्कंधों की स्थापना ।

प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं

परिचालन मैन्युअलों का आधुनिकीकरण; लागत एवं बजट केंद्रों तथा विभागवार एवं कार्यमदवार लागत रिपोर्ट प्रणालियों की स्थापना; विभागाध्यक्षों द्वारा त्रैमासिक आधार पर औपचारिक प्रस्तुति प्रणाली; विभागों की वार्षिक कार्य योजना का वार्षिक बजट के साथ समेकन; सभी परिचालन विभागों के अनुरूप आपदा आयोजना तंत्र; निधि आयोजना एवं निधियों के अवसर मूल्य की अवधारणाएं लागू करना; एवं रिज़र्व बैंक के एकीकृत तुलन पत्र की आवश्यकता की समीक्षा करना।

चरण III:

रिज़र्व बैंक की नवीन छवि के निर्माणार्थ पूर्ववर्ती चरणों की समीक्षा तथा पहले दो चरणों में उठाए गए प्रयासों का उद्देश्य, रणनीति आयोजना के लक्ष्यों के आधार पर, नई छवि का निर्माण करना है।

VI. संगठनात्मक योजना :

विभागीय संरचना, क्षेत्रीय संरचना एवं शीर्ष प्रबंध संरचना के लिए लागू

लक्ष्य : आंतरिक संसाधनों का बेहतर प्रबंध, परिचालन पर्यावरण में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता एवं अनुकूलन शीलता हेतु नमनीयता, पुनर्गठन द्वारा परिचालनों की सहक्रिया, निर्णय प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण का प्रबंध योग्य स्तर, शीर्ष स्तर पर निर्णय क्षेत्र में कटौती, ग्राहक सेवा, प्रेस संपर्क आदि उपेक्षित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान एवं उनका सशक्तीकरण प्रथम चरण की समाप्ति तक पुनर्गठन द्वारा 25 की जगह 11 विभाग बनाए जाएंगे।

VII. कार्यान्वयन रणनीति

विशेषताएं: 1) 'रणनीति योजना कार्य पर जोर' के अधीन प्रभावी कार्यान्वयन एवं निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति कार्य योजना का संप्रेषण 2) समुचित कार्यान्वयन एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उत्तरदायित्व को पूर्वशर्त बनाना एवं प्रभावी कार्यान्वय में आने वाली कठिनाईयों एवं रुकावटों को उजागर करने वाली त्रैमासिक रिपोर्टों का शीर्ष प्रबंध को प्रस्तुतीकरण।

[9] क्रमशः वित्तीय प्रणाली नियमन विभाग; पर्यवेक्षण विभाग, भुगतान प्रणाली विभाग, अंतरराष्ट्रीय परिचालन विभाग, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा विभाग, वित्त विभाग, नीति अनुसंधान विभाग ।

परिशिष्ट 9.3
सुधारोत्तर काल में रिज़र्व बैंक के कार्य निष्पादन में गुणात्मक सुधार@

विनियमन एवं पर्यवेक्षण

1. देश भर में ऋण वसूली प्राधिकरणों (डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स) की स्थापना के लिए पहल,
2. बैंकिंग क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) एवं अनन्य विभागों की स्थापना,
3. नई संस्थाओं जैसे शहरी सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विकास वित्त संस्थाओं, एवं प्राथमिक व्यापारियों को रिज़र्व बैंक के अंतर्गत स्थापित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के अधीन लाना ;
4. केमल (सीएएमइएलएस) प्रारूप पर आधारित प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ करके आकार निरपेक्ष तथा अनिवार्य रूप से वार्षिक बनाया जाना;
5. वाणिज्यिक बैंकों जैसी निरीक्षण प्रक्रिया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विकास वित्त संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों एवं नागरी सहकारी बैंकों पर लागू करना;
6. कारोबार के सभी पहलुओं को छूनेवाले एवं समर्पित अधिकारियों द्वारा आनलाइन विवरणियों के माध्यम से कार्यान्वित परोक्ष निगरानी प्रणाली का प्रारंभ;
7. रिज़र्व बैंक के समग्र मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में उपरोक्त संस्थाओं के लिए अनुशंसित एक अंतर्निहित आस्ति-देयता एवं जोखिम प्रबंध प्रणाली की स्थापना की;
8. अन्य पर्यवेक्षण संस्थाओं के साथ समन्वय के लिए वित्तीय समूह कक्ष की स्थापना की गई है। समेकित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में समेकित लेखांकन संरचना को लागू किया गया।
9. तुरंत उपचारात्मक कार्यवाही (पीसीए), साख सूचना केंद्र (सीआइबी) एवं बैंकिंग ओम्बडस मेन योजना की शुरूआत;
10. वित्तीय क्षेत्र में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु मौलिक प्रयास किए गए;
11. मनी लॉडरिंग प्रथम एवं आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम के लिए सख्त उपाय किए गए;
12. स्थूल विवेक सम्मत संकेतक प्रणाली की स्थापना भी की गई ;
13. निगम-शासन विषय पर बैंकों के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए;
14. रिज़र्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र को बासेल-द्वितीय के नार्म्स को लागू करने के लिए तैयार कर रहा है तथा मात्रात्मक प्रभाव के अध्ययन के लिए कुछ बैंकों का पहले ही चयन किया गया है।

वित्तीय बाजार, पारदर्शिता एवं संप्रेषण :

15. भुगतान एवं निपटान प्रणाली में गुणवत्ता मानकों में सुधार में आधारभूत सहायता के लिए रिज़र्व बैंक ने एक अलग भुगतान एवं निपटान प्रणाली बोर्ड एवं अलग विभाग यानी भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग की स्थापना की।
16. इलैक्ट्रोनिक लेनदेन एवं साइबर संबधित धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवश्यक सांविधिक प्रावधान करने के उपाय किए जा रहे हैं।
17. सभी महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं, परिपत्र; वेबसाइट पर प्रकाशित मसौदों पर दी गई राय के आधार पर जारी किए जाते हैं।
18. भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक (डाटाबेस प्रंबंध प्रणाली को बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है जिसे नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता है।
19. उन्मुक्त पहुंच के लिए सभी प्रकाशनों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। रिज़र्व बैंक की सूचना संप्रेषण प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की विशेष डाटा प्रसारण मानकों की आवश्यकताओं से कहीं अधिक विकसित है।
20. रिज़र्व बैंक आवश्यक संस्थागत परिवर्तन एवं बाजार व्यष्टि संरचना में गत्यात्मक सुधारों द्वारा बाजारों के विकास को सतत सुगम बना रहा है।
21. समुचित विधिक, संस्थागत, प्रौद्योगिक एवं नियामक संरचनाओं की स्थापना से सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजारों में व्यापार परिमाण एवं पारदर्शिता में वृद्धि में सहायता मिली है।
22. जमा प्रमाण पत्र (सीडी) वाणिज्यिक पत्र (सीपी) रेपो, रुपया व्युतपनी लिखतों यथा ब्याज दर विनिमय (आइआरएस) / वायदा सौदे (एफआरए) सम्पार्श्विक उधार एवं ऋण संबंधी दायित्व आदि नवीन मुद्रा बाजार लिखतों का चलन शुरू किया गया।

@ उल्लिखित उपाय सम्पूर्ण नहीं हैं।

मौद्रिक प्रबंध :

23. पूंजी प्रवाह में भारी वृद्धि के कारण विनिमय दर प्रबंध बैंक के समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा एवं इससे मुद्रा एवं बाह्य क्षेत्र प्रबंध में घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पड़ी तथा बैंक ने इसका सफलता पूर्वक सामना किया।

24. रिज़र्व बैंक के संयुक्त प्रयासों से, समय के साथ, मुद्रा नीति के संप्रेषण माध्यमों की प्रभावकारिता में जबरदस्त सुधार हुआ है।

25. भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र एवं बैंकिंग प्रणाली मे चलनिधि के स्रोतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं जिससे रिज़र्व बैंक द्वारा अवशोषण के माध्यम से बार-बार नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।

26. बैंकिंग क्षेत्र से परे जाकर समस्त वित्तीय क्षेत्र को शामिल करने वाले नए समुच्चयों की गणना की गई जिनको नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है।

27. सन् 2000 से एक दस्तावेज 'स्थूल आर्थिक एवं मौद्रिक गतिविधियों' के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा प्रकाशित की जाती है जिसका विमोचन बैंक के वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्यों के साथ अप्रैल / मई में किया जाता है। मध्यावधि समीक्षा के साथ भी अर्धवार्षिक अवधि में इसका प्रकाशन किया जाता था। अप्रैल 2005 से समीक्षा का विमोचन त्रैमासिक आधार किया जाता है।

ऋण प्रबंध क्षेत्र

28. राज्यों के बाजार ऋणों की चुकौती के लिए वर्ष 1999-2000 से बैंक ने एक एकीकृत ऋण निक्षेप निधि की स्थापना की।

29. उनकी प्रतिभूतियों के बढ़ते परिमाण से आने वाली कठिनाइयों एवं जोखिम प्रतिभूतियों पर उपयोगकर्ता शुल्क के वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित युक्तिकरण की आवश्यकता के बारे में राज्यों को संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास कर रहा है।

30. मुक्त बाजार परिचालन में सक्षम होने के लिए रिज़र्व बैंक पोर्टफोलियों में पर्याप्त प्रतिभूतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की अहस्तांतरणीय 4.6 प्रतिशत विशेष प्रतिभूतियों के सारे स्टाक को वर्ष 2003-04 तक बेचने लायक प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की नीति पर अमल किया।

31. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) को अवशोषण परिचालन के भार से मुक्त रखने के लिए रिज़र्व बैंक को एक अतिरिक्त उपकरण मुहैया कराने की दृष्टि से बाजार स्थायीकरण योजना (एमएसएस) शुरू की गई।

मुद्रा प्रबंध

32. भुगतान एवं निपटान प्रणाली के मशीनीकरण एवं संगणकीकरण से समग्र कार्यनिष्पादन गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

33. मुद्रा प्रबंध के क्षेत्र में बैंक ने अपने 18 निर्गम कार्यालयों में 48 मुद्रा सत्यापन एवं प्रसंस्करण प्रणालियाँ (सीवीपीएस) एव 27 श्रेडिंग एवं ब्रिकेटिंग सिस्टम (एसबीएस) की स्थापना करके सारी नोट प्रसंस्करण प्रक्रिया का स्वचालन किया। इससे पहले यह प्रक्रिया बड़ी संख्या में स्टाफ का नियोजन करके हाथ से की जाती थी।

34. जनता को अच्छी गुणवत्ता के नोट एवं सिक्कों की आपूर्ति के लिए स्वच्छ नोट नीति का कार्यान्वयन

35. आपूर्ति तंत्र पर बढ़ते हुए दबाव के कारण सिक्कों के वितरण का कार्य निजी परिवहन संचालकों को दे दिया गया तथा सिक्का प्रेषण के साथ रिज़र्व बैंक स्टाफ एवं पुलिस कर्मी भेजने की प्रथा समाप्त की गई।

36. इस क्षेत्र में उपलब्ध अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी लाभ उठाने एवं जालसाजी से सुरक्षा एवं संरक्षण निश्चित करने के लिए बैक नोटों के सुरक्षा लक्षणों की लगातार समीक्षा की जाती है एवं उन्हें अद्यतन बनाया जाता है।

37. हाल के वर्षों में पर्यावरण के लिए हानि रहित ब्रिकेटिंग प्रक्रिया अपना कर गंदे नोटों के सत्यापन, प्रसंस्करण, छँटाई एवं उन्हें नष्ट करने के कार्य बनाने को स्वचालित पर जोर दिया गया है।

38. मैसूर (कर्नाटक) एवं सालबनी (पश्चिम बंगाल) में स्थित नई नोट छापने वाली प्रेसों के प्रबंध के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधिकार में 'भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड' (कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत) की स्थापना की गई।

39. रिज़र्व बैंक के लिए एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि मौद्रिक म्यूजियम की स्थापना करना रही है।

मानव संसाधन प्रबंध :

40. मानव संसाधन विकास विभाग बैंक की दक्षता में वृद्धि एवं कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत स्तर पर जीवन की सर्वांगीण गुणवत्ता के लिए परिस्थितियों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करने में सक्रिय प्रयास कर रहा है।

41. इन प्रयासों से न सिर्फ जटिल प्रक्रियाओं में कमी आई है, बल्कि लेन देन की लागत (ट्रांजैक्शन कॉस्ट) भी घटी है।

विदेशी मुद्रा प्रबंध :

42. मुद्रा नियंत्रण से जोर हटकर मुद्रा प्रबंध पर स्थिर होने के कारण पूर्ववर्ती विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के नियंत्रण तंत्रों से संबधित एक विस्तृत कार्य क्षेत्र का लोप हो गया तथा परिणाम स्वरूप विभाग के आकार में कमी आई एवं उसका नाम बदल कर विदेशी मुद्रा विभाग रखा गया।

सरकार का बैंकर :

43. समय के साथ केंद्र एव राज्य सरकारों के बैंकिग एवं लेखा परिचालन में सुधार के लिए किए प्रयासों में प्रौद्योगिकी के अंगीकरण से गुणात्मक वृद्धि हुई।

44. अब केंद्रीय एवं राज्य सरकारें केंद्रीय लेखानुभाग, नागपुर की सुरक्षित वेबसाइट पर अपने जमाशेष की प्रतिपल नवीनतम स्थिति की जानकारी पा सकती हैं।

45. प्रत्यक्ष करों की आन लाइन कर लेखांकन प्रणाली परियोजना अप्रैल 2004 से काम कर रही है। परियोजना में 33 बैंक एवं उनकी 12,800 शाखाएं शामिल है तथा करदाता आंकड़ों का बैंकों से सीधे सरकारी खातों में संप्रेषण इसका उद्देश्य है। रिज़र्व बैंक इस प्रणाली की लगातार निगरानी करता है।

i) भारतीय रिज़र्व बैंक निगरानी में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रणालियों की परिकल्पना की गई है : उत्पाद एवं सेवा कर की इलेक्ट्रोनिक लेखांकन प्रणाली (इसीएस्ट) परियोजना जिसमें व्यापक ई-भुगतान मोड्यूल की अवधाराणा की गई है;

ii) एम सी ए - 21 (एमसीए 21) कंपनी मामलों के मंत्रालय की एक प्रतिष्ठित, मिशन स्तर की, ई-गवर्नेंस परियोजना है जिसमें कंपनी मामलों का मंत्रालय के राष्ट्रव्यापी कार्यालय नेटवर्क द्वारा प्रदत्त सभी सेवाओं से संबधित सुरक्षित इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग (ई फाइलिंग) माध्यम से सूचना का आदान-प्रदान करने की आवधारणा की गई है :

अनुसंधान एवं प्रकाशन

46. बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के समग्र परिचालनों को शामिल करते हुए एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सूचना प्रसारण हेतु, समय के साथ, सांख्यिकीय, आर्थिक एवं नीति संबंधित नए प्रकाशनों की शुरुआत की गई। ये प्रकाशन प्रिंट एवं सीडी रोम माध्यमों के अतिरिक्त बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध किए जाते हैं। इन प्रकाशनों ने घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में महती प्रशंसा अर्जित की है।

47. वर्ष 1998-99 से मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट के लिए विषयाधारित दृष्टिकोण का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ये रिज़र्व बेंक को समसामयिक महत्व के विषयों को संबोधित करने में समर्थ बनाते हैं

48. भारतीय रिज़र्व बैंक प्रकाशनों के व्यापकतर प्रचलन के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विक्रय एवं प्रसार कक्ष खोले गए हैं।

परिशिष्ट 9.4
रिज़र्व बैंक की तुलनपत्र कार्यात्मक संरचना

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारतीय रिज़र्व बैंक तुलन पत्र (सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात)	**11.65**	**21.83**	**21.62**	**21.09**	**21.54**	**19.82**	**18.29**	**19.26**
मुद्रा का प्रबंध								
कुल जारी नोट (करोड रु.)	53,807	62,290	69,795	83,832	1,02,342	1,20,107	1,34,907	1,48,550
करेंसी चेस्टों की संख्या	3864	3902	3976	4059	4099	4101	4128	4157
कुल रिपोजिटरी एवं छोटे सिक्कों के डिपो	3422	3590	3670	3762	3806	3898	3957	4030
वाणिज्यिक बैंकों का नियमन और पर्यवेक्षण								
बैंकों की संख्या	272	272	272	272	281	281	287	300
शाखाओं की संख्या	60220	60570	61169	63755	64234	64937	65562	66408
शहरी सहकारी बैंक								
बैंकों की संख्या	1397	1401	1339	1400	1431	1501	1653	1502
विकास वित्त संस्थाओं								
सं.	8	8	10	10	10	10	9	10
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों								
सं.	10127	11278	11010	11270	10725	12530	-	1420
ऋण प्रबंध								
बाजार उधार (केंद्र एवं राज्य) करोड़ रुपए	11,558	12,284	17,690	54,533	43,231	46,783	42,688	67,386
सकल नीलामी								
1. 14 दिवसीय खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-	69,236.6
2. 91 दिवसीय खजाना बिल	-	-	1,350	15,012	12,450	24,050	25,200	13,200
3. 182 दिवसीय खजाना बिल	3,425	7,318	245	-	-	-	-	-
4. 364 दिवसीय खजाना बिल	-	-	8,797	20,303	16,857	1,875	8,240	16,246.6
द्वितीयक बाजार - परिमाण (अरब रुपए)	-	-	-	-	-	-	1,229	1,857
रेपो (% अंश)	-	-	-	-	-	-	23.6	13.26
एकमुश्त (% अंश)	-	-	-	-	-	-	76.4	86.74
विदेशी मुद्रा परिचालन								
विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरिकी डालर)	5,834	9,220	9,832	19,254	25,186	21,687	26,423	29,367
भुगतान एवं निपटान								
समाशोधित चेक (भा.रि.बैं.) लाखों में सं.	3518	4132	4618	4736	4854	4398	4715	5040
कारोबार राशि का परिमाण (भा.रि.बैंक) रुपए करोड़	18,39,460	29,22,990	32,37,473	31,98,789	35,14,402	38,02,485	45,68,598	55,62,533

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	10	11	12	13	14	15	16
भारतीय रिज़र्व बैंक तुलन पत्र (सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात)	19.33	18.59	19.50	19.96	21.10	22.09	21.99
मुद्रा प्रबंध							
कुल जारी नोट (करोड़ रु.)	1,72,573	1,92,535	2,12,936	2,44,655	2,75,444	3,19,761	3,61,229
करेंसी चेस्टों की संख्या	4181	4242	4386	4422	4486	4454	4451
कुल रिपोजिटरी एवं छोटे सिक्कों के डिपो	4046	4058	3970	3962	4076	4103	4083
वाणिज्यिक बैंकों का नियमन और पर्यवेक्षण							
बैंकों की संख्या	301	298	300	297	292	290	284
शाखाओं की संख्या	67157	67868	67937	68195	68500	69170	70324
शहरी सहकारी बैंक							
बैंकों की संख्या	1748	2050	1942	1937	1941	1926	1872
विकास वित्त संस्थाओं							
सं.	11	11	11	10	10	8	8
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों							
सं.	1536	1005	981	910	875	777	573
ऋण प्रबंध							
बाजार उधार (केंद्र एवं राज्य) करोड़ रुपए	1,06,067	1,13,336	1,28,483	1,52,508	1,81,979	1,98,157	1,45,602
सकल नीलामी							
1. 14 दिवसीय खजाना बिल	18,150	16,453	10,480	1,100		-	-
2. 91 दिवसीय खजाना बिल	16,697	8,155	7,255	20,216	26,402	36,789	1,00,592
3. 182 दिवसीय खजाना बिल	-	2,900	2,600	300		-	-
4. 364 दिवसीय खजाना बिल	10,200	13,000	15,000	19,588	26,126	26,136	47,132
द्वितीयक बाजार - परिमाण (अरब रुपए)	2,272	5,393	6,981	15,739	19,557	24,334	21,894
रेपो (% अंश)	17.47	15.34	18.05	23	28.8	36.31	58.91
एकमुश्त (% अंश)	82.53	84.66	81.95	77	71.2	63.69	41.09
विदेशी मुद्रा परिचालन							
विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरिकी डालर)	32,490	38,036	42,281	54,106	76,100	1,12,959	1,41,514
भुगतान एवं निपटान							
समाशोधित चेक (भा.रि.बैं.) लाखों में सं.	4891	5167	5270	5377	5980	6241	7130
कारोबार राशि का परिमाण (भा.रि.बैं.) रुपए करोड़	62,09,523	78,95,492	91,89,683	1,09,47,391	1,09,78,762	91,78,751	83,54,830